



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2018/माघ 24, 1939

No. 84]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018/MAGHA 24, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 168(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप धारा (2) के खंड (घ) और धारा 14 के खंड (त) के साथ पठित धारा 56 की उप धारा 2 के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "सर्वोत्तम प्रथाओं" से तात्पर्य उन उपायों से अभिप्रेत है जिनमें -

- (i) भवन की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए पहचानी गई घटकों और प्रणालियों में क्षमता के अनुकूलन की अनुज्ञा है; या
- (ii) सुरक्षा के संबंध में निर्माण की लागत को कम करना, भवन संरचना की स्थिरता, केंद्रीय विधियों या राज्य विधियों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय उपाबंध; और
- (iii) जिसमें राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति या ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित ऊर्जा संरक्षण उपाय शामिल हैं;

(ग) "भवन परिसर" से अभिप्रेत है जिसमें व्यापार, वाणिज्यिक, संस्थागत प्रयोजनों के लिए एक निरंतर क्षेत्र में बनाए गए एक भवन या भवनों का समूह या व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के एकल स्वामित्व के अधीन भवनों की समुच्चय या सहकारी समूह सोसाइटी के नाम के अधीन या पट्टे पर और दुकानों के रूप में विक्रीत किए गए या अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कार्यालय स्थान या स्थान है;

- (घ) "निर्मित क्षेत्रफल" एक भवन के बेसमेंट से लेकर सभी मंजिलों तक सभी तलों पर कुल अच्छादित क्षेत्रफल सहित यान स्थान के अलावा तल के स्तरों पर मापी गई दीवारों तथा मुंडेर से ढके हुए क्षेत्रफल से अभिप्रेत है;
- (ङ.) "उप-नियमों" से अभिप्रेत है इसकी अधिकारिता में आने वाले इसके क्षेत्रों में निर्माण क्रियाकलापों के विनियमन के लिए इसके नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्मित भवन उप-नियम है -
- (i) सभी नगरपालिका प्राधिकरण या समितियां या परिषदें;
 - (ii) सभी महानगरीय क्षेत्र या नगर पंचायतें;
 - (iii) विकास या योजना के प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र;
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत और उसके अधिकारिता में जिसमें उक्त प्राधिकरण द्वारा लागू ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन करने वाला भवन स्थित होगा और इसमें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम या नियम या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अधिकारिता वाले किसी भी अन्य प्राधिकरण में शामिल होगा;
- (च) "प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम अर्हता) नियम 2006 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और जिसने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अर्हित की है;
- (छ) "संहिता" से अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा विरचित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अभिप्रेत है;
- (ज) "अनुपालन दस्तावेजों" से अभिप्रेत है संहिता के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट रूपों और इन नियमों के अनुपालन के अनुरूप नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) से प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं;
- (झ) "संयुक्त भार" से अभिप्रेत है किलो-वाॅट (केडब्ल्यू) के संदर्भ में भवन या भवन के कुछ हिस्सों या भवन परिसर में स्थापित किए जाने वाले या स्थापित सभी उपकरणों, साधन और युक्ति के रेटेड वाॅटेज का योग, जो सभी आवेदकों को प्रस्तावित यथास्थिति भवन या भवन परिसर के संबंध में बिजली की खपत के लिए इसके पूरा होने पर आवंटित किया जाएगा;
- (ञ) "सन्निर्माण दस्तावेजों" आरेखों या दस्तावेजों द्वारा भवन निर्माण की प्रक्रियाओं और अनुमोदन, भवन निर्माण सामग्री और उपस्कर विनिर्देश, अधिकारिता वाले प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित वास्तु-संरचनात्मक विवरण से संबंधित सूचनाओं से अभिप्रेत है;
- (ट) "संविदा की मांग" किलो-वाॅट (केडब्ल्यू) या किलो-वोल्ट एम्पीयर (केवीए) में अधिकतम मांग (उपभोक्ता के स्वीकृत भार के अंदर) को उपभोक्ता और उपयोगिता या बिजली प्रदाता के बीच निष्पादित करार में बिजली प्रदाता या उपयोगिता द्वारा आपूर्ति किए जाने की सम्मति से अभिप्रेत है;
- (ठ) "नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)" से अभिप्रेत है फर्म में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक) विनियम, 2010 और प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) और ब्यूरो के साथ सूचीबद्ध के अधीन प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक शामिल हैं;
- (ड) "ऊर्जा संरक्षण उपायों" से अभिप्रेत है जिसमें ऊर्जा की बचत के लिए भवन डिजाइन में उपायों को शामिल करना या पीक विद्युत या थर्मल मांग में सुविधा को बढ़ाने या संहिता के समान या अन्य घटक के किसी तत्व के साथ घटक के किसी भी तत्व में शामिल कूलिंग या ऊष्मित भार को कम करने में और प्रस्तावित या मौजूदा भवन के कथित भवन डिजाइन में निहित ऐसे किसी भी उपाय को शामिल करना;
- (ढ) "ऊर्जा निष्पादन सूचकांक" से अभिप्रेत है जिसमें एक भवन की वार्षिक ऊर्जा खपत उस भवन के निर्मित क्षेत्रफल के किलो वाॅट घण्टा प्रति वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, जिसकी गणना भवन के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी;

कि.वाँ.घं. में वार्षिक ऊर्जा खपत

ऊर्जा निष्पादन सूचकांक = -----

वर्गमीटर में कुल निर्मित क्षेत्र (भंडारण क्षेत्र को छोड़कर और बेसमेंट में यान स्थान)

- क. "ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात" से मानक आधारभूत भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक के लिए प्रस्तावित भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक का अनुपात अभिप्रेत है;
- ख. "प्रतिष्ठान" से अभिप्रेत है एक कारवार या अन्य संगठन या वह स्थान जहां एक संगठन संचालित होता है और इसमें एक सरकारी प्रतिष्ठान और प्राईवेट प्रतिष्ठान शामिल होता है;
- ग. "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- घ. "स्वामी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, एक कंपनी, एक न्यास, एक संस्थान, रजस्ट्रीकृत निकाय, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार और इसके संलग्न या अधीनस्थ विभाग, उपक्रम और ऐसे अन्य अभिकरण या संगठन, जिनके नाम एक भवन के निर्माण या भवन परिसर के लिए राजस्व अभिलेख में रजस्ट्रीकृत संपत्ति है;
- ङ. "प्रस्तावित डिजाइन" से अभिप्रेत है एक भवन का कम्प्यूटरीकृत डिजाइन जो एक भवन के वास्तविक डिजाइन के अनुरूप है जो संहिता की सभी अपेक्षाओं के अनुसार अनुदेशात्मक या संपूर्ण भवन निष्पादन पद्धति का पालन करता है;
- च. "मानक आधारभूत डिजाइन" से अभिप्रेत है जिसमें मानक डिजाइन जो संहिता की सभी अनिवार्य और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और प्रस्तावित भवन का एक समान निर्मित क्षेत्रफल है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या संहिता में हैं।

3. **आवेदन** - इन नियमों को प्रत्येक भवन पर लागू किया जाएगा, जिन्हें वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल करने के लिए नियत किया जाता है, जिसका आशय 100 किलोवाट (केडब्ल्यू) या इससे अधिक या 120 किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) या इससे अधिक की संविदा की मांग से है और ऐसे भवन में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) भवन आवरण;
- (ख) सुविधा प्रणाली और नियंत्रण (तापन, संवातन और वातानुकूलन सेवा, गर्म पानी प्रणाली);
- (ग) प्रकाश और नियंत्रण;
- (घ) विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां;
- (ङ) ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रणाली के रूप में:

परंतु ये नियम उपकरण, साधनों, युक्ति और भवन के कुछ हिस्सों पर लागू नहीं होंगे जो मुख्य रूप से निर्माण प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं:

परंतु यह और कि जहां भी ये नियम बचाव, सुरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरणीय संहिता के साथ विवाद रखते हैं, या उपकरण या उपस्करों के लिए ब्यूरो के ऊर्जा दक्षता मानक और लेबलिंग तथा भवनों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम और यदि वे इन नियमों की अपेक्षा से अधिक सख्त हैं तो वे इन नियमों पर लागू होंगे:

परंतु यह और भी कि जहां मौजूदा अतिरिक्त भवन या परिवर्तन वाले 100 किलो वाट (केडब्ल्यू) या इससे अधिक भार या 120 किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) या उससे अधिक की संविदा की मांग को जोड़ा गया है, इस नियम के लिए खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट उपबंधों का पालन किया जाएगा।

4. **अनुपालन तंत्र** - (1) किसी भवन के ऊर्जा निष्पादन का अनुपालन निम्न पद्धतियों में से किसी एक का पालन करके स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) आदेशात्मक पद्धति - भवन इसके आवरण घटकों, सुविधा प्रणाली और नियंत्रण, प्रकाश और नियंत्रण, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए संहिता में निर्दिष्ट रूप में अनिवार्य आवश्यकताओं और आदेशात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन करेगा;

(ख) संपूर्ण भवन निष्पादन पद्धति - इस भवन में सभी अनिवार्य उपायों का अनुपालन किया जाएगा और संहिता की संपूर्ण भवन निष्पादन पद्धति में निर्दिष्ट आवश्यकताएं और इस पद्धति के अधीन प्रस्तावित डिजाइन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक निम्नानुसार भवन के मानक आधारभूत डिजाइन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक के समान या उससे कम होंगे :

प्रस्तावित डिजाइन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक

ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात = ----- ≤1

मानक आधारभूत डिजाइन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक

(2) भवन आवरण, सुविधा प्रणाली और नियंत्रण, प्रकाश और नियंत्रण, और विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों सारांश और आदेशात्मक पद्धति और संपूर्ण भवन निष्पादन पद्धति के अधीन उनकी जांच-सूची संहिता के परिशिष्ट घ में निर्दिष्टानुसार होगी।

5. संहिता के अनुपालन वाले भवन के निर्माण की प्रक्रिया - (1) प्रत्येक स्वामी, जो किसी भवन को खड़ा करना या पुनर्स्थापन करना चाहता है या इन नियमों के अधीन किसी भी भवन में बदलाव या आगे बनाने का आशय रखता है, संबंधित प्राधिकरण के पास प्ररूप 1 में इनके साथ एक आवेदन जमा करेगा -

(क) प्ररूप 2 में एक उपक्रम के साथ स्वामी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित सन्निर्माण दस्तावेज;

(ख) सन्निर्माण दस्तावेज सुनिश्चित करेगा -

- (i) प्रवृत्त में भवन उप-नियम का अनुपालन;
- (ii) भवन डिजाइन में भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात का अनुकूलन करने के लिए भवन के स्थल और विशिष्ट आवश्यकताओं की जलवायु परिस्थितियों के संबंध में ऊर्जा संरक्षण उपायों और सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को शामिल किया गया है;
- (iii) जो कि सभी डेटा, भवन की विशेषताएं, विभिन्न निर्माण घटक और प्रणालियों के अधीन पहचाने गए ऊर्जा संरक्षण उपायों को विस्तार से और उप-नियमों में निर्दिष्ट रीति से दिखाया गया है;
- (iv) लागू होने वाले उप-विधियों की अपेक्षाओं के अनुसार योजना के आरेख, योजना के रंग, योजना के आयाम, योजना के पैमाने;

(ग) संहिता के घटकों और प्रणालियों के निर्माण को अच्छादित करने वाले अनुपालन दस्तावेजों में शामिल है, जिसे पैनल में सूचीबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निम्नलिखित सहित प्रमाणित किया गया है, अर्थात्: -

- (i) डिजाइन चरण पर प्रस्तावित भवन के संबंध में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात रिपोर्ट;
- (ii) संहिता के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट रूप में अनुपालन दस्तावेज प्रमाणित करते हुए नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) द्वारा प्ररूप 3 में प्रमाण पत्र;
- (iii) पहचाने गए ऊर्जा संरक्षण उपायों के संबंध में जांच की गई है या सत्यापित किया गया है; और
- (iv) प्रस्तावित भवन के संबंध में निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले अधिकारिता वाले संबंधित प्राधिकरण से निर्माण परमिट की मांग करने के लिए स्वामी द्वारा सम्यक रूप हस्ताक्षर किए गए और "एक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन बनाने / पुनः स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन" लिखित शीर्षक के साथ एक आवेदन।

(2) अधिकारिता वाले प्राधिकरण को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की अपेक्षा हो सकती है।

(3) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), डिजाइन चरण में निरीक्षण की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात्: -

(क) इस संबंध में निर्माण दस्तावेजों की जांच-

- (i) फर्श का क्षेत्रफल;
- (ii) खिड़की का क्षेत्रफल;
- (iii) दीवार का क्षेत्रफल;
- (iv) भवन की छत का क्षेत्रफल;
- (v) भवन के प्रस्तावित डिजाइन के निर्मित क्षेत्रफल;

(ख) संहिता अनुपालन दस्तावेजों की जांच करना और संहिता के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट रूप में जांच सूची और पहचान -

- (i) ऊर्जा संरक्षण के उपाय जो भवन के प्रस्तावित डिजाइन पर लागू होते हैं;
- (ii) दीवारों और छतों में इन्सुलेशन मात्राएं, और समुच्चय के लिए निर्माण, सौर ताप गुणांक, खिड़की के समुच्चय क्षेत्र के लिए दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण और तापीय संप्रेषण (यू-कारक);
- (iii) एयर-हैंडलिंग उपकरण, रेफ्रीजरेशन उपकरण, कंडेंसिंग उपकरण और एयर-फ्लो सारांश के लिए हीटिंग, संवातन और एयर कंडीशनिंग घटक सारणियां;
- (iv) ताप, संवातन और वातानुकूलन उपस्कर की क्षमताएं और नियंत्रण उपस्कर;
- (v) प्रकाश उपस्कर की अनुसूचियों को दर्शाने की सारणियां;
- (vi) डिजाइन दस्तावेजों में विद्युत प्रकाश घनत्व गणना;
- (vii) प्रकाश नियंत्रण;
- (viii) मोटर दक्षता और नियंत्रण;
- (ix) ब्यूरो द्वारा अनुमोदित अनुरूपण उपकरण का उपयोग करके प्रस्तावित भवन के लिए ऊर्जा मॉडल परिणामों के साथ मिलान करने के लिए दस्तावेज पुनर्विलोकन के निष्कर्ष;
- (ग) डिजाइन चरण में अनुमानित ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात की जांच करना;
- (घ) (ख) और (ग) के (i) से (ix) मदों को सत्यापित और प्रमाणित करें;
- (ङ) संहिता के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट जांचसूची को भरें और सुधार सूची को निर्दिष्ट करें यदि भवन के प्रस्तावित डिजाइन के डिजाइन दस्तावेजों में अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है या ये नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं और ये होंगे -
- (i) अधिकारिता वाले से संबंधित प्राधिकरण के लिए सूचना के अधीन भवन के मालिक हेतु प्ररूप-4 में अपने निष्कर्षों का संप्रेषण;
- (ii) अपने निष्कर्षों को लागू करने के लिए स्वामी को निर्दिष्ट समय दें;
- (iii) स्वयं समाधान करें कि निर्दिष्ट समय के अंदर स्वामी से प्राप्त संचार, निष्कर्षों को पूरा करें और कमियों को पूरा करें;
- (च) उसकी स्वीकृति अभिलेख करें और संहिता और इन नियमों के अनुपालन की जांच सूची को पूरा करें, और अधिकारिता वाले संबंधित प्राधिकारी और राज्य नामित अभिकरण से सूचना के अधीन स्वामी को प्ररूप 5 में अनुमोदन का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- (4) (क) अधिकारिता वाले प्राधिकरण से प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए परमिट के मुद्दे हेतु उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करेंगे -
- (i) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से प्ररूप 2 या प्ररूप 4 में प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही डिजाइन और स्वीकृति निर्माण योजना को मंजूरी;
- (ii) सन्निर्माण कार्य को बनाने या पुनर्निर्माण करने या निर्माण में सुधार करने या निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए उसमें परिवर्तन करने के लिए अनुदान परमिट इसके स्वीकृति पत्र में निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्: -
- (अ) सन्निर्माण कार्य संहिता और इन नियमों के अधीन स्वीकृत योजना और अपेक्षा के अनुसार होगा;
- (आ) निर्माण-प्रगति के दौरान इन नियमों का अनुपालन प्राप्त किया जाएगा;
- (इ) स्वामी को अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने से पहले भवन पर कब्जा नहीं किया जाएगा;
- (ई) अधिकारिता वाले प्राधिकरण द्वारा स्वामी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद इन नियमों या संहिता के उपाबंधों के संबंध में किसी भी स्तर पर, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से गैर-अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या आवेदन में वास्तविक तथ्यों की किसी भी गलत बयानी के नोटिस पर परमिट रद्द किया जा सकता है।
- (5) परमिट प्राप्त करने के बाद, स्वामी यह करेगा -

- (क) प्ररूप 6 में भवन के सन्निर्माण कार्य को शुरू करने के अपने आशय का नोटिस देना;
- (ख) उप-नियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के निबंधन में निर्माण दस्तावेजों में निहित ऊर्जा संरक्षण उपायों का सन्निर्माण करना;
- (ग) ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात के अनुकूल करने के लिए इस तरह के घटकों और प्रणालियों में सर्वोत्तम प्रथाओं को तैनात करके ऊर्जा के सबसे प्रभावी उपयोग के लिए उप-नियम (1) के खंड (क) में के निबंधन में सन्निर्माण दस्तावेजों में शामिल भवन घटकों और प्रणालियों के निर्माण में लचीलापन हो;
- (घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसे सन्निर्माण का कार्य करने से पहले नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से मंजूरी लेनी चाहिए यदि निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित घटक और प्रणालियां सन्निर्माण और अनुपालन दस्तावेज में शामिल किए गए हैं।
- (6) सन्निर्माण चरण पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के विनिर्देशों की पुनर्विलोकन करेंगे, और, -
- (क) संहिता के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट जांचसूची को भरें, टिप्पणियां प्रदान करें यदि भवन की प्रस्तावित डिजाइन निर्माण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है और संहिता, इन नियमों और स्वीकृत योजना के अनुपालन में कमियों को निर्दिष्ट करता है और ये करेगा,
- (i) अपनी कमियां और निष्कर्ष स्वामी को संप्रेषित करना;
- (ii) अपने निष्कर्षों को लागू करने के लिए स्वामी को निर्दिष्ट समय दें;
- (iii) स्वयं समाधान करें कि उसके बाद स्वामी से प्राप्त संचार निर्दिष्ट निष्कर्षों को पूरा करेगा और कमियों को पूरा किया जाएगा;
- (ख) उनकी स्वीकृति अभिलेख करें और जांचसूची को पूरा करें जो संहिता और इन नियमों का अनुपालन दर्शाता है, और प्राधिकरण वाले अधिकारियों को सूचना के अधीन स्वामी को प्ररूप 7 में अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी करना;
- (ग) जहां यह किसी भी चरण पर अवधारित किया जाता है कि निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं चल रहा है या संहिता और इन नियमों के किसी भी उपाबंधों का अतिक्रमण किया गया है, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी को सूचित करेंगे और अनुरोध करेंगे कि प्ररूप 8 के अनुसार अपने निष्कर्षों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए या उनके द्वारा पहचानी गई कमियों को बताएं;
- (घ) यदि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी से संतुष्ट है, तो वह प्ररूप 7 में अनुपालन के प्रमाण पत्र में इसे अभिलिखित करेगा और अधिकारिता के प्राधिकारी को सूचना के अधीन स्वामी को सूचित करेगा;
- (ङ) यदि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा जमा की गई अतिरिक्त जानकारी से समाधान नहीं है तो वह अधिकारिता के प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे के निर्माण को स्थगन की दिया गया है जब तक कि सुधार नहीं किया जाता और इसका अनुपालन प्रमाण पत्र नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा जारी किया गया है
- (7) प्रत्येक स्वामी भवन के पूरा होने की सूचना को कार्य के पूरा होने पर प्ररूप 9 में अधिकारिता के प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसमें मंजूर किए गए परमिट में निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों के साथ-साथ प्ररूप 10 में प्रमाण पत्र के साथ जारी किए गए कार्यों सहित नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा इसे पूरा करने के लिए प्रमाणित किया जाएगा -
- (क) नियम (3) के अधीन पूरा करने के चरण में विभिन्न घटकों की जांच सूची के साथ सम्यक रूप से पूर्ण अनुपालन प्ररूपों में निम्नलिखित शामिल होंगे-
- (i) एयर-हैंडलिंग उपकरण, प्रशीतन उपकरण, कंडेंसिंग उपकरण, एयर-फ्लो सारांश, प्रकाश उपकरण विशिष्टियां दर्शाने वाली तालिकाओं और मोटर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने वाली सारणियां के लिए ताप, संवातन और वातानुकूलन घटक तालिकाओं का पुनर्विलोकन;

- (ii) रोशनी के उपकरण जैसे लैम्पों, बालास्ट के निरीक्षण द्वारा फिक्सचर की वॉट क्षमता की पुष्टि और निरीक्षण में प्रकाश पावर घनत्व को निर्धारित करने के लिए इमारत में उपयोग के प्रकार के अनुसार कम से कम यादृच्छिक जांच शामिल होगी;
- (iii) आवश्यक प्रकाश नियंत्रण की पुनर्विलोकन करना, जैसे पुस्तिका स्विच ऑफ पेरीमीटर, दिन के प्रकाश सर्किट, स्वचालित अधिभोग आधारित नियंत्रण, फोटो सेंसर नियंत्रण और स्वचालित टाइमर आधारित नियंत्रण;
- (iv) स्थापित ऊष्मित, संवातन और वातानुकूलन उपकरण और नियंत्रण उपकरण के निष्पादन मूल्यों के गुणांक पुनर्विलोकन;
- (v) स्थापित मोटर और नियंत्रण की दक्षता की पुनर्विलोकन;
- (vi) विद्युत कारक और बिजली वितरण नुकसान की पुनर्विलोकन;
- (vii) आवश्यक जांच मीटरिंग और निगरानी प्रणाली की पुनर्विलोकन।
- (ख) प्रस्तावित डिजाइन में ऊर्जा संबंधी भवन की सुविधाओं की एक सूची, यदि कोई हो, जो स्वीकृत या मानक आधारभूत डिजाइन से भिन्न होती है;
- (ग) इमारत के इन्सुलेशन, फेनेस्ट्रेशन, हीटिंग, संवातन और वातानुकूलन, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, वॉटर हीटिंग प्रणाली सभी ऊर्जा संरक्षण उपायों के संबंध में किए गए निर्माण के समर्थन में सभी दस्तावेज और चालान।
- (8) यदि भवन की स्वीकृत योजना की तुलना में पूरा होने पर ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से कम या बराबर है, तो इसे संहिता और इन नियमों का पालन करना समझा जाएगा।
- (9) यदि स्वीकृत योजना के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात में विचलन है, तो भवन की मंजूर योजना की तुलना में यह एक से अधिक है नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) प्ररूप 11 में अपने निष्कर्ष रिपोर्ट करेगा और स्वामी से ऐसे ही अन्य अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण उपाय को शामिल करने के माध्यम से इसका अनुपालन करने के लिए कहेगा। नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को स्वामी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन की प्रस्तावित डिजाइन इन नियमों के अनुरूप हो जाए।
- (10) स्वामी न तो कब्जा करेगा और न ही किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन इमारत या किसी भवन के हिस्से पर कब्जा करने की अनुज्ञा देगा, जब तक अधिकारिता प्राधिकारी द्वारा इस भवन या इसके हिस्से को उप-नियमों के अधीन अधिभोग प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता।
- (11) स्वामी इमारत के पूरा होने का नोटिस देगा और अधिभोग के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
- (12) अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त करने पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा प्रमाण पत्र के साथ, प्ररूप 12 में अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें अन्य शर्तों के साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं, अर्थात्: -
- (i) भवन के ऊर्जा निष्पादन की निगरानी और सत्यापन संबंधित राज्य की राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी;
- (ii) स्वामी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा भवन के पूरी तरह से चालू होने के बाद लगातार दो वर्षों तक व्यूरो को सूचना के अधीन प्ररूप 13 के अनुसार एक ऊर्जा निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के माध्यम से राज्य नियुक्त अभिकरण को प्रस्तुत करेगा;
- (iii) यदि भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से अधिक है, तो अधिकारिता का प्राधिकारी एक अस्थायी अधिभोग प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी कर सकता है कि स्वामी मंजूर की गई योजना या परमिट में भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात अर्जित करने के लिए मंजूरी के तीन वर्ष की अवधि के अंदर भवन के ऊर्जा परीक्षण के लिए अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण उपायों की पहचान करने के लिए भवन का ऊर्जा परीक्षण कराएगा;
- (iv) यदि स्वामी, खंड (iii) में विनिर्दिष्ट ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को प्राप्त करने में विफल रहता है तो भवन के अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर अधिकारिता प्राधिकरण राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति के समक्ष मामला रखेगा जो स्वामी और नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सुनवाई करेगा और इसके अनुसार मामले में सिफारिशें करेगी और अधिकारिता प्राधिकरण इस तरह की अनुशंसाओं का पालन करेगा।

- (13) यह प्रक्रिया तब तक बार-बार दोहराई जाएगी जब तक कि भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से कम या एक के बराबर नहीं हो जाता और नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) संहिता के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक चरण में संहिता और इन नियमों के अनुरूप विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में, डिजाइन, निर्माण और पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अनुपालन दस्तावेजों को भरेंगे और जमा करेंगे।
- (14) उप-नियम (3) में उल्लिखित अनुरूपण उपकरण, भवन ऊर्जा विश्लेषण कंप्यूटर प्रोग्राम के मूल्यांकन के लिए परीक्षण की मानक विधि पर आधारित होगा।
- (15) इन नियमों के उपाबंधों के अधीन स्वामी, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता संगत तकनीकी शिकायत निवारण समिति के पास किसी भी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकता है।

6. समितियां - (1) प्रत्येक राज्य नामित अभिकरण अपने राज्य के लिए, इनका गठन करेगी -

(क) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति या उनके नामांकित व्यक्ति और जिसमें ब्यूरो के नामांकित व्यक्तियों सहित सभी पणधारकों का समावेश होता है -

- (i) इन नियमों के उपाबंधों के अनुसार भवन के निष्पादन के लिए इमारत के विभिन्न घटकों और प्रणालियों में मापदंडों के अनुकूलन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता मानकों को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक भवनों या प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का एक प्रभावी साधन बनाने के लिए प्रत्येक समर्थन प्रदान करना;
- (ii) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति की सहायता के लिए ब्यूरो को इसकी सिफारिशों को अग्रेषित के लिए ऊर्जा निष्पादन सूचकांक, क्षेत्र-वार - गर्म और शुष्क, गर्म और आर्द्र, समशीतोष्ण और ठंडे जलवायु क्षेत्र, वर्गीकरण-वार करना;
- (iii) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और संहिता के अनुपालन वाले भवन निर्माण के लिए प्रक्रिया के बारे में जागरूकता सृजन करना;
- (iv) ऊर्जा दक्ष इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन देना जिससे कि इमारत निर्माण परियोजनाओं की जलवायु परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संबंध में उनके निर्माण में गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित हो सके;
- (v) इमारतों के ऊर्जा दक्ष डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय में भवन निर्माण वृत्तियों, विकासकर्ता और संविदाकारों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना;
- (vi) सभी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के ब्यूरो को जांचने के लिए उनके वार्षिक कार्य के निष्पादन की पुनर्विलोकन करना;
- (ख) अतिक्रमण का सारांश तैयार करना जो राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा ब्यूरो को प्रदान किया जाएगा और उनके व्यावसायिक कौशल का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए इस तरह के अतिक्रमण की पुनर्विलोकन होगी;
- (ग) एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और ब्यूरो को यह प्रस्तुत करने के साथ राज्य में इन नियमों के अनुपालन में हुई प्रगति और राज्य में संहिता के अनुपालन की दर में सुधार करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त अभिकरण द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ इंगित किया जाए;
- (घ) ऊर्जा निष्पादन सूचकांक के आंकड़ों के संकलन के माध्यम से डेटाबेस बनाने और इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद निर्मित प्रत्येक भवन द्वारा प्राप्त अनुपात।
- (ङ) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन सहित राज्य के शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी की अध्यक्षता में तकनीकी शिकायत निवारण समिति, राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा नामित अन्य सदस्यों के साथ, जो चार से अधिक नहीं हों, जो अनुभव और प्रशिक्षण से योग्य हैं राज्य में संहिता अनुपालन भवन के निर्माण से संबंधित मामलों पर निर्णय दें -
- (i) अधिकारिता वाले प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्दिष्ट समय अवधि के अंदर संहिता के अनुपालन वाली इमारत के स्वामी द्वारा भवन परमिट, पूर्णता प्रमाण पत्र, भवन के अधिभोग प्रमाण पत्र सहित पूरा होने के चरण पर ऊर्जा

निष्पादन सूचकांक अनुपात के निर्धारण और इन नियमों की व्याख्या या संहिता और इन नियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी अन्य शिकायत पर फाइल शिकायत की सुनवाई की जाए;

- (ii) इस तरह के मुद्दे पर यथास्थिति या अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वयन करने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारी को सिफारिशें करें।
- (2) ब्यूरो द्वारा ब्यूरो के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति स्थापित की जाएगी। ब्यूरो में संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक कथित समिति के सदस्य सचिव होंगे जिसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -
- (क) सभी राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में संहिता अनुपालन भवनों की शिकायतों पर कार्य करेगा, वरीयतः नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन);
- (ख) भारतीय मानक ब्यूरो का एक प्रतिनिधि;
- (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि;
- (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि;
- (ङ) निर्माण उद्योग का एक प्रतिनिधि;
- (च) वास्तुकला परिषद का एक प्रतिनिधि;
- (छ) किसी भी अन्य सदस्य, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकता है
- (3) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति उप-नियम (1) की धारा (क) के उपखंड (ii) के अधीन राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन करेगी और इसे तैयार करने के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी जो राष्ट्रीय ऊर्जा खपत मानदंडों और मानकों के अनुसार जलवायु क्षेत्र के अनुसार, वर्गीकरण-वार संहिता संगत भवनों के अनुसार होंगे।
- (4) जहां इस विषय का मूल्यांकन किया गया है और एक समान मानक स्थापित करने की आवश्यकता है, अधिनियम की धारा 8 के उप-धारा (3) के अधीन ब्यूरो एक तकनीकी समिति का गठन कर सकता है जिसमें भवन ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति शामिल किए जा सकते हैं जो इस उद्देश्य के लिए विभिन्न पणधारकों के साथ बातचीत करें और मसौदा मानक तैयार करें, जिसे कम से कम पैंतालिस दिन के लिए गहन पुनर्विलोकन और सुझावों हेतु राज्य अभिहित अभिकरणों सहित व्यापक रूप से परिचालित किया जाए और मसौदा मानकों को अंतिम रूप दिया जाए।
- (5) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों को दिशा और अनुमोदन के लिए प्रबंधन सलाहकार समिति के माध्यम से शासी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
- (6) ब्यूरो को शासी परिषद की मंजूरी मिलने के बाद इसकी सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार के पास विचार और अनुमोदन के लिए भेजना होगा।
- (7) संहिता को अद्यतन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशों का उपयोग किया जा सकता है।

7. स्वामी की जिम्मेदारियां और कर्तव्य - (1) संहिता के अनुपालन वाली इमारत के स्वामी को संहिता की आवश्यकताओं और इन नियमों के अनुसार उक्त इमारत का काम कराना होगा।

(2) प्रत्येक स्वामी-

(क) इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने और निम्नानुसार सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण डिजाइन, ऊर्जा संरक्षण उपायों और उपकरणों की स्थापना के लिए पैनल में तैनात नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को नियुक्त करेगा, अर्थात्: -

- (i) भवन, बजट और समय की बाधाओं की जटिलता के आधार पर अपनी इमारत परियोजना के लिए अनुपालन दृष्टिकोण को अंतिम रूप देना;

- (ii) प्रस्तावित भवन के स्थान के संबंध में समय-समय पर संशोधित संहिता के अनुसार ऊर्जा संरक्षण उपायों को अंतिम रूप देना;
- (iii) इन नियमों के उपाबंधों के अनुसार भवन डिजाइन में ऊर्जा संरक्षण उपायों को एकीकृत करना;
- (iv) आरेख, विशिष्टियों और अनुपालन प्ररूप तैयार हैं और ऊर्जा संरक्षण उपायों को इमारत डिजाइन के दस्तावेजों में प्रतिबिंबित किया गया है और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है, और इसके साथ नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को एक प्रमाण पत्र द्वारा निर्दिष्ट करेगा है कि दस्तावेज इन नियमों की आवश्यकता के अनुसार हैं;
- (v) नोटिस को निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने के अपने इरादे को क्षेत्राधिकार रखने वाले प्राधिकारी को स्वीकृति की वैधता के अंदर दिया गया है;
- (vi) ऐसे नोटिस की तारीख से अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर काम आरंभ करना या जहां भी आवश्यक हो, वहां निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए समय को बढ़ाया जाना;
- (vii) यह सुनिश्चित करना कि भवन के निर्माण और उसके घटकों और प्रणालियों की स्थापना में डिजाइन किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए गए हैं।
- (ख) अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों के साथ निर्माण कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर इमारत या परिसर में प्रवेश करने के लिए नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को अनुज्ञा दें;
- (ग) क्षेत्राधिकार रखने वाले प्राधिकारी को लिखित सूचना देना, जिसमें नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) से एक प्रमाण पत्र के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने के बारे में सूचित किया जाता है कि -
- (i) भवन का निर्माण भवन निर्माण परमिट की मंजूरी के अनुसार किया गया है;
- (ii) सभी ऊर्जा संरक्षण उपायों को स्थापित और निरीक्षण किया गया है, और वे संहिता और इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं;
- (iii) संहिता के प्रावधान और ये नियम भवन की डिजाइन को पूरा करते हैं;
- (घ) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सेवाओं की समाप्ति और इनके स्थान पर अन्य किसी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की नियुक्ति के मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले प्राधिकारी और राज्य नामित अभिकरण को लिखित सूचना देनी चाहिए;
- (ङ) भवन के पूरा होने के बाद इमारत या उसके किसी हिस्से पर कब्जे से पहले क्षेत्राधिकार रखने वाले प्राधिकरण से एक अधिग्रहण का परमिट प्राप्त करना;
- (च) इन नियमों के उपाबंधों को पूरा करने में नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), यदि कोई हो, के पास व्यावहारिक कठिनाइयों की रिपोर्ट करें, जो राज्य अभिहित अभिकरण और राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति के परामर्श में आवश्यक कार्रवाई करेगा;
- (छ) नोटिस की प्राप्ति पर, यदि कोई हो, तो अधिकारिता प्राधिकरण, वह ऐसे समय के अंदर ऐसे उपयोग को बंद कर देगा जैसा कि इस तरह के नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है और किसी भी मामले में इन नियमों के उपाबंधों की उपेक्षा नहीं करेगा;
- (ज) जहां वह प्रणाली, सामग्री या उपकरण के विपरीत भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार के कारण किसी भी प्रणाली या सामग्री या उपकरणों की स्थापना को बदलने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि स्वीकृति योजना में बताया गया है, वह नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी प्रणाली या सामग्री या उपकरण का इस्तेमाल करेगा या स्थापित करेगा।

परन्तु यह इन नियमों के उपाबंधों की भावना और आशय का अतिक्रमण न करता हो:

परन्तु यह और कि इस तरह के परिवर्तन से भवन की आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, अर्थात् इन नियमों के अधीन आने वाली इमारतों पर लागू केंद्रीय कानून और राज्य कानूनों के संरचनात्मक स्थिरता, सुरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण के प्रावधान।

(3) इन नियमों के उपाबंधों के अधीन, किसी भी शिकायत के निवारण के लिए स्वामी, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुरूप तकनीकी शिकायत निवारण समिति के पास जा सकता है।

8. नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की भूमिका, जिम्मेदारियां और कर्तव्य- नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), जिनकी सेवाएं स्वामी द्वारा नियुक्त की गई हैं,

(क) यह सत्यापित और प्रमाणित करेंगे -

- (i) डिजाइन मानदंड, परियोजना के ऊर्जा लक्ष्यों, ऊर्जा प्रणालियों के निष्पादन सत्यापन योजना और मॉडलिंग दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भवन का डिजाइन;
- (ii) विचाराधीन परियोजना के लिए डिजाइन दृष्टिकोण के आधार पर ऊर्जा संरक्षण उपाय;
- (iii) निर्माण दस्तावेज और अनुपालन दस्तावेज, अनुपालन प्ररूप और जांच सूची, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट हैं कि भवन संहिता और इन नियमों का अनुपालन किया जाता है;
- (iv) प्रस्तावित भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात;

(ख) अपने मुहर के अधीन एक प्रमाण पत्र और अधिकृत हस्ताक्षर को इस आशय के अनुसार प्रस्तुत करें कि रेखाचित्र, विनिर्देशों, निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन दस्तावेजों और प्रारूप आवरण, आराम प्रणाली और नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था और विद्युत पावर प्रणालियों, जहां कहीं भी लागू हो, और अन्य सभी संहिता इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के अधिकारिता प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए संबंधित दस्तावेज;

(ग) भवन निर्माण कार्यों से इन नियमों के अधीन अपने प्रयोगों सहित भवनों के चालू अवस्था और उनके प्रमाणन के आधार पर निरीक्षण करना, अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा भवन परमिट जारी किया जाएगा, भवन निर्माण, निर्माण पूर्णता और अधिभोग प्रमाणपत्रों को मंजूरी दी जाएगी;

(घ) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन काम कर रहे पेशेवरों या कर्मचारियों में से कोई भी, इन नियमों के अधीन संबंधित इमारत के निर्माण या बदलाव के संबंध में किसी भी काम में संलग्न है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के हितों के साथ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ हितों में कोई विवाद नहीं है;

(ङ) भवन परमिट या भवन निर्माण या अधिभोग चरण के दौरान जारी होने के कारण उठने वाले ऐसे असामान्य तकनीकी मुद्दों पर राज्य अभिहित अभिकरण को रिपोर्ट;

(च) संहिता और इन नियमों के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय और राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समितियों को निविष्टियाँ प्रदान करना;

(छ) संहिता में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को बढ़ावा देना।

9. राज्य नामित अभिकरण के उत्तरदायित्व और कर्तव्य - अधिनियम की धारा 15 की धारा (घ) के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य नामित अभिकरण, ब्यूरो के परामर्श से,

- (क) राज्य के अधिनियम के अधीन ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए संहिता और इन नियमों के उपाबंधों का समन्वय, विनियमन और लागू करेगा;
- (ख) प्रत्येक वाणिज्यिक भवन या प्रतिष्ठान को 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड, या 120 केवीए या उससे ऊपर की अनुबंध की मांग सुनिश्चित करना इन नियमों के अनुपालन में बनाया जाना चाहिए;
- (ग) राज्य में निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के कैडर को बनाने के लिए गुणवत्ता, स्थिरता और इन नियमों के अनुपालन की दर में सुधार करने के लिए नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के निष्पादन की निगरानी करना;

- (घ) संहिता में शिकायतों की अनुपालन दर को मापने के लिए राज्य में एक डेटा बैंक बनाना और इन नियमों के अनुपालन के परिणामस्वरूप ऊर्जा बचत के लिए सही तरीके से हिसाब रखना;
- (ङ) राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए गर्म और शुष्क, गर्म और नम, समशीतोष्ण, सम्मिश्र और ठंडे अलग-अलग क्षेत्रों के अधीन भवन के क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा उपयोग पर एक डेटा बैंक बनाना;
- (च) अपने राज्य में विभिन्न श्रेणियों की इमारतों के निर्माण में इन नियमों का अनुपालन करने के लिए ऊर्जा ब्यूरो सूचकांक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना और विभिन्न प्रकार की इमारतों के निर्माण के संबंध में ऊर्जा की खपत मानदंडों और मानकों के निर्माण के लिए ब्यूरो को अपनी सिफारिशें भेजना;
- (छ) राज्य में नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा रिपोर्टिंग की सटीकता को निर्धारित करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो स्थल यात्राओं की व्यवस्था करना;
- (ज) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के निष्पादन, इन नियमों के अनुपालन करने वाली परियोजनाओं की सूची, निष्पादन, इन नियमों के अनुपालन का अतिक्रमण करने वाली परियोजनाओं की सूची और अतिक्रमण के स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करें और प्रत्येक वर्ष ब्यूरो के लिए इस तरह के अतिक्रमण का सारांश प्रदान करना;
- (झ) संहिता और इन नियमों के अनुपालन में इमारतों के निर्माण के उद्देश्य के लिए इन नियमों के उपाबंधों को शामिल करने के लिए अधिकारिता रखने वाले अधिकारी के साथ समन्वय बनाना;
- (ञ) इन नियमों के अनुपालन में संहिता संगत भवनों की ऊर्जा निष्पादन में सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों और अधिग्रहण सहित डिजाइन निर्माण से संबंधित मामलों के संबंध में इन नियमों के उपाबंधों के अनुरूप अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

10. विविध- (1) इन नियमों के अधीन विशेष रूप से निर्दिष्ट किसी भी ऊर्जा संरक्षण उपायों या विधि या डिजाइन या निर्माण का उपयोग अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा रोका नहीं जा सकेगा यदि ऐसे ऊर्जा संरक्षण उपाय या पद्धति या डिजाइन या निर्माण ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति द्वारा संतोषजनक पाया जाता है और ऐसे ऊर्जा संरक्षण उपाय या विधि या डिजाइन या निर्माण, अपने अधिभोग पर ऊर्जा के उपयोग में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को अनुकूलित करने में स्वामी की सहायता करते हैं।

(2) संहिता में निर्दिष्ट मानकों के संशोधन या निकासी की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए, संहिता की समय-समय पर, कम से कम पांच वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन की जाएगी और ऐसे मानक जिनमें ब्यूरो की राय में कोई पुनरीक्षण करने या संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उनकी पुनः पुष्टि की जाएगी।

प्ररूप 1

[नियम 5 (1) देखें]

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन में निर्माण / पुनः निर्माण / बदलाव करने के संदर्भ में भवन परमिट पाने के लिए आवेदन

सेवा में,

आयुक्त या (सक्षम प्राधिकारी का नाम)

अधिकारिता प्राधिकरण

शहर का नाम

राज्य का नाम

तारीख : ___/___/___

विषय : भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यायोजना सड़कनगर / शहर का नामके परिसर में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन का निर्माण करने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं / हम अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यायोजना के परिसर में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण / पुनः निर्माण / बदलाव के आशय से आपको सूचना देता हूँ तथा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण के लिए भवन परमिट जारी करने का अनुरोध करता हूँ। निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं।

- (i) उपरोक्त नियमों में निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण के उपायों की स्थापना को निहित करने की जांच सूचियों सहित निर्माण के दस्तावेज और अनुपालन प्ररूप।
- (ii) निर्माण दस्तावेजों और अनुपालन प्ररूपों सहित जांच सूचियों का सत्यापन श्रीपंजी. संख्यानामिकावद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा किया गया है। इस विषय में प्ररूप II में हस्ताक्षरित और मुहर सहित एक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

भवदीय,

(स्वामी का नाम)

पता _____

टेली. नंबर / मोबाइल नंबर ____

प्ररूप 2

[नियम 5 (1)(क) देखें]

(ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण के लिए स्वामी द्वारा वचन)

मैं / हम उपरोक्त कथित भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्या..... के स्वामी है और निर्माण के पूरे होने पर प्रस्तावित भवन में 100 कि. वाॅट / 120 केवीए या अधिक का कनेक्टिड लोड / संविदा मांग होगी और प्रस्तावित है कि इस निर्माण का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जाए या इसका आशय है।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के प्रावधान तदनुसार प्रस्तावित भवन पर लागू होंगे।

मैं / हम वचन देते हैं कि उपरोक्त कथित भवन का निर्माण नगर निगम प्राधिकरण के उप नियमों और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के उपाबंधों के अनुसार किया जाएगा। यदि भवन के निर्माण के दौरान कोई विचलन देखा जाता है तो हम अधिकारिता प्राधिकरण को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेंगे।

मैं / हम पुनः वचन देते हैं कि संलग्न आरेख और आवेदन में दी गई जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार शुद्ध है और यदि दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तथा उक्त जानकारी के परिणाम स्वरूप केंद्र या राज्य सरकार या उनके अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को हानि होती है तो मैं / हम उक्त हानि की क्षति पूर्ति का वचन देते हैं।

हस्ताक्षर

(स्वामी का नाम)

पता _____

टेली. नंबर / मोबाइल नंबर ____

प्ररूप 3

[नियम 5 (1)(ग)(II) और 5(4) (क)(I) देखें]

[ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के लिए भवन परमिट हेतु आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की ओर से प्रमाण पत्र]

मैं / हम नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) हैं जिनकी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के तहत पंजीकरण संख्या है और हमें ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन की संवीक्षा तथा डिजाइन का सत्यापन करने का अधिकार है। मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि -

- (क) हमने स्वामी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित निर्माण दस्तावेजों, वचन की संवीक्षा की है जिसमें स्वामी / डिजाइन व्यावसायिक व्यक्ति द्वारा भवन के सभी संबंधित डेटा और विशेषताएं, उपकरण और प्रणालियों की जानकारी पूरे विस्तार से दी गई है जिसमें भवन आवरण, हीटिंग, संवातन और वातानुकूलन, गर्म पानी की सेवा, लाइटिंग और बिजली की पावर को शामिल करते हुए नगर निगम उप नियमों तथा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के अनुसार भूखण्ड संख्या ब्लॉक संख्या शहर में योजना राज्य पर निर्माण के लिए प्रस्तावित भवन के विषय में बताया गया है;
- (ख) मैं / हम ने उप नियमों और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच सूचियों के साथ अनुपालन प्ररूपों की संवीक्षा की है।
- (ग) अनुपालन दस्तावेजों का विधिवत् निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है।
- (घ) भवन डिजाइन में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात अनुपालन दस्तावेजों के अनुसार डिजाइन के चरण पर एक के बराबर या इससे कम है और इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के अनुपालन में है।
- (ङ.) यह प्रमाणित किया जाता है कि जमा किए गए दस्तावेजों की सभी आवश्यक संवीक्षा और सत्यापन श्रमपूर्वक, सच्चाई के साथ और सभी उचित व्यावसायिक कौशलों, देखभाल के साथ किया गया है तथा भवनों के आरेखों सहित अनुपालन प्ररूपों और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए जांच सूचियों की संवीक्षा और सत्यापन किए गए हैं।
- (च) आवेदन के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेजों की सामग्री तथ्यों का सत्य प्रतिनिधित्व है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

उपरोक्त कथित प्रस्तावित भवन के संबंध में भवन परमिट जारी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, जहां तक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 की आवश्यकताओं का संबंध है।

हस्ताक्षर

नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

रजिस्ट्रीकरण संख्या / मुहर

तारीख

प्ररूप 4

[नियम 5(3)(ड.)(I) और 5(4)(क)(I) देखें]

[प्रस्तावित भवन के संबंध में भवन परमिट आवेदन की पुनर्विलोकन पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र – स्वामी को चूक तथा अनुपालन नहीं होने का संप्रेषण]

सेवा में,

श्री _____,

पता

विषय: भूखण्ड संख्या ब्लॉक संख्या योजना सड़क नगर / शहर का नाम - परिसर में प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए आवेदन - डिजाइन चरण निरीक्षण पर ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के साथ चूक / अनुपालन नहीं होने के विवरण ।

महोदय,

मैं / हम(नाम), जो आदेश संख्या द्वारा एक अधिकृत नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) हूँ / हूँ एतद्द्वारा कथन है कि मैंने / हमने आपके द्वारा दिए गए वचन की पुनर्विलोकन और सत्यापन किया है तथा निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन प्ररूपों, जांच सूचियों का निरीक्षण किया है जो विषय भवन के संबंध में प्रस्तावित भवन के विभिन्न घटकों के नियम 5 के उप नियम (3) में निर्दिष्ट विभिन्न तत्वों के संबंध में भवन परमिट आवेदन के साथ जमा किए गए हैं और सूचित किया जाता है कि निरीक्षण पर निम्नलिखित चूक / अनुपालन नहीं होने की जानकारी मिली है -

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

यह अनुरोध है कि आपकी डिजाइन टीम के साथ परामर्श में इन्हें ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के अनुपालन में लाने के लिए अनिवार्य ऊर्जा संरक्षण उपाय किए गए हैं। तदनुसार आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के अंदर कि अवधि में सुधारात्मक कार्रवाई करें। भवन परमिट जारी करने के लिए आपके आवेदन पर अगली कार्रवाई उपरोक्त कथित चूक / अनुपालन नहीं होने के संतोषजनक अनुपालन के बाद की जाएगी।

हस्ताक्षर

नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

रजिस्ट्रीकरण संख्या / मोबाइल नं.

मुहर

प्ररूप 5

[नियम 5(3)(न) देखें]

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के संबंध में निर्माण दस्तावेज और अनुपालन प्ररूप संलग्न करते हुए भवन परमिट आवेदन की पुनर्विलोकन पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र]

मैं / हम, (नाम), आदेश संख्या द्वारा एक अधिकृत नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) हूँ / हूँ, एतद्द्वारा कथन है कि मैंने / हमने स्वामी द्वारा दिए गए वचन की पुनर्विलोकन और सत्यापन किया है तथा निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन प्ररूपों, जांच सूचियों का निरीक्षण किया है, जो भूखण्ड संख्या ब्लॉक संख्या योजना शहर / नगर राज्य के परिसर में प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के विभिन्न तत्वों के संबंध में भवन परमिट आवेदन के साथ जमा किए गए और प्रमाणित किया जाता है कि

(i) अधोहस्ताक्षरी द्वारा तारीख के निरीक्षण के प्रमाण पत्र में दर्शाई गई चूक / अनुपालन नहीं होने का अनुपालन संतोषजनक रूप से किया गया है;

(ii) ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात की गणना उपरोक्त कथित दस्तावेजों में दिए गए डेटा के साथ मिलती है और यह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के अनुपालन में है।

मैं / हम पुनः प्रमाणित करते हैं -

(क) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 में शामिल किए गए घटकों के विभिन्न तत्वों के संबंध में अनुपालन प्ररूपों के सत्यापन में सभी उपयुक्त व्यावसायिक कौशल, देखभाल और श्रम पूर्वक कार्य किया गया है अतः इसकी सामग्री तथ्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व है और यह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 की आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

(ख) उपरोक्त कथित प्रस्तावित भवन के संबंध में जहां तक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 की आवश्यकताओं का संबंध है, भवन परमिट जारी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

विधिवत पूरी की गई और अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित जांच सूची संलग्न है।

हस्ताक्षर

अधिकृत / नामिकावद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

रजिस्ट्रीकरण संख्या / मोबाइल नं.

मुहर

प्ररूप 6

[नियम 5(5)(क) देखें]

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण कार्य को आरंभ करने की सूचना

सेवा में,

आयुक्त या (सक्षम प्राधिकारी का नाम)

अधिकारिता प्राधिकरण

शहर का नाम

राज्य का नाम

तारीख : __/__/__

विषय : भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यायोजना सड़कनगर / शहर का नामके परिसर में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन का निर्माण – भवन निर्माण कार्यों को आरंभ करने की सूचना।

महोदय,

मैं / हम एतद्द्वारा भूखण्ड संख्या योजना सड़क के उपरोक्त कथित स्थल में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन सहित भवन निर्माण कार्य आरंभ करने की सूचना देता हूँ, जो अधिकारिता प्राधिकरण द्वारा फाइल संख्या / पत्र संख्या द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के अनुपालन में है।

भवदीय,

स्वामी के हस्ताक्षर

(स्वामी का नाम)

स्वामी का पता

प्ररूप 7

[नियम 5(6)(ख) और (घ) देखें]

[ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के संबंध में संलग्न निर्माण दस्तावेजों और अनुपालन प्ररूपों सहित निर्माण कार्यों की पुनर्विलोकन पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र – अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करना]

सेवा में,

स्वामी,
पता

मैं / हम(नाम), आदेश संख्या द्वारा एक प्राधिकृत / नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के तौर पर कथन करते हैं कि मैंने / हमने **निर्माण कार्यों के दौरान स्थापित ऊर्जा संरक्षण उपायों** पर स्वामी द्वारा दिए गए वचन की पुनर्विलोकन की है और निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन प्ररूपों, जांच सूचियों की पुनर्विलोकन की है जो भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यास्कीम नगर / शहर.....राज्य के परिसर में प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण में नियम 5 के उप नियम (6) में निर्दिष्ट घटकों के विभिन्न तत्वों के संबंध में निर्माण कार्य की प्रगति के साथ जमा किए गए और प्रमाणित किया जाता है कि इसके ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात का मिलान उपरोक्त कथित दस्तावेजों में दिए गए डेटा के साथ होता है;

मैं / हम और प्रमाणित करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 में शामिल किए गए घटकों के विभिन्न तत्वों के संबंध में निर्माण दस्तावेजों और अनुपालन प्ररूपों के सत्यापन में सभी उपयुक्त वृत्तिक कौशल, देखभाल और श्रम पूर्वक कार्य किया गया है और इसकी सामग्री तथ्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व है और यह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 की आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्यक रूप से पूरी की गई और हस्ताक्षरित जांच सूची संलग्न है।

हस्ताक्षर

नाम

नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

रजिस्ट्रीकरण संख्या / मोबाइल नं.

मुहर

प्रतिलिपि: आयुक्त, अधिकारिता प्राधिकरण / शहर का नाम / नगर मुख्य कार्यकारी, राज्य नामित अभिकरण / राज्य का नाम / पता

प्ररूप 8

[नियम 5(6)(ग) देखें]

[ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के संबंध में संलग्न निर्माण दस्तावेजों और अनुपालन प्ररूपों सहित निर्माण कार्यों की पुनर्विलोकन पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र – अनुपालन नहीं होने का प्रमाणपत्र जारी करना]

सेवा में,

श्री

स्वामी,

पता

तारीख : _ / _ / _

विषय : नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यास्कीम सड़कनगर / शहर का नामके परिसर में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन का निर्माण के निष्कर्षों का संप्रेषण।

महोदय / महोदया,

मैं / हम(नाम), आदेश संख्या द्वारा एक प्राधिकृत / नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के तौर पर कथन करते हैं कि मैंने / हमने निर्माण कार्यों के दौरान स्थापित ऊर्जा संरक्षण उपायों पर स्वामी द्वारा दिए गए वचनबंध और निर्माण के अधीन ऊर्जा संरक्षण उपायों की पुनर्विलोकन की है तथा निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन प्ररूपों, जांच सूचियों की पुनर्विलोकन की है जो भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यास्कीम नगर / शहर.....राज्य के परिसर में प्रस्तावित भवन के घटकों के विभिन्न तत्वों के संबंध में निर्माण कार्य की प्रगति के साथ जमा किए गए और प्रमाणित किया जाता है कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के निम्नलिखित उपाबंधों से इसमें विचलन हुआ है / विचलन है, अर्थात् :-

(i)

(ii)

(iii)

2. उपरोक्त में से कोई भी विचलन राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित सर्वोत्तम प्रथाओं में शामिल नहीं है।

या

निम्नलिखित विचलन राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित सर्वोत्तम प्रथाओं में शामिल किए गए हैं।

3. भवन के स्वामी से अनुरोध है कि वे उपरोक्त विचलनों का सुधार करें या ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति का अनुमोदन लें।

4. भवन स्वामी उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए अनुमोदन प्राप्त करने के बाद या उपरोक्त पैरा 1 में अधिसूचित विचलनों के सुधार के बाद अनुमोदन प्राप्त करने या सुधार पूरा होने की तारीख के एक माह के अंदर इस मामले में की गई कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें तथा इसके साथ ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के नियम 5 के उप नियम (6) के खण्ड (घ) में दिए गए अनुमोदन के प्रमाण पत्र जारी करने के साथ कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मुझे अद्यतन जांच सूची प्रदान करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

प्राधिकृत / नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

रजिस्ट्रीकरण संख्या / मोबाइल नं.

मुहर

प्रतिलिपि: आयुक्त, अधिकारिता वाला प्राधिकरण / शहर / नगर का नाम / राज्य

प्ररूप 9

[नियम 5(7) देखें]

पूर्णता की सूचना

सेवा में,

आयुक्त

अधिकारिता वाला प्राधिकरण

नगर / राज्य का नाम

विषय : भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यानगर..... में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन का निर्माण करने हेतु आवेदन, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन कार्यों के पूरे होने की सूचना ।

महोदय,

मैं / हम प्लॉट संख्याब्लॉक संख्या में ऊर्जा संरक्षण के उपायों के निष्पादन और कार्यान्वयन सहित इस पर भवन के निर्माण की सूचना देते हैं, जिसे आपके कार्यालय के संप्रेषण संख्या तारीख द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार पूरा किया गया है। निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं : -

- (i) नगर निगम प्राधिकरण आदेश संख्या तारीख द्वारा सर्वश्री नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की ओर से उपरोक्त कथित भवन के पूरे होने पर निरीक्षण का एक प्रमाण पत्र।

यह भवन उस उपयोग के लिए उपयुक्त है जिसके लिए इसे निर्मित / पुनः निर्मित / निर्मित किया गया है।

यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त कथित भवन के अधिभोग को उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

स्वामी का नाम, प्लॉट संख्या, ब्लॉक संख्या, पता

प्ररूप 10

[नियम 5(7) देखें]

[ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के संबंध में संलग्न निर्माण दस्तावेजों और अनुपालन प्ररूपों सहित निर्माण कार्यों के पूरे होने की पुनर्विलोकन पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र – अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करना]

सेवा में,

नाम.....
भवन के स्वामी,
पता

विषय : ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के संकर्म सन्निर्माण का पूरा होना -

प्रमाण पत्र

मैं / हम(नाम), आदेश संख्या द्वारा एक प्राधिकृत/ नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के तौर पर कथन करते हैं कि मैंने स्वामी द्वारा दिए गए वचनबंध की पुनर्विलोकन की है और निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन प्ररूपों, जांच सूचियों का निरीक्षण किया है जो भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यास्कीम..... नगर / शहर.....राज्य के परिसर में प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण के पूरे होने पर जमा किए गए हैं और प्रमाणित किया जाता है कि

(i) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के अधीन शामिल किए गए संकर्म मेरी सर्वोत्तम समाधान के अनुसार पूरे हो गए हैं। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के अनुसार विभिन्न घटकों / प्रणालियों के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं :

घटकों के नाम

तारीख

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(ii) कथित भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट उपरोक्त कथित अनुपालन दस्तावेजों में दिए गए डेटा के साथ मेल खाता है।

(iii) उपरोक्त कथित भवन में निर्माण में प्रयुक्त ऊर्जा संरक्षण उपायों की एक सूची संलग्न है। स्वामी द्वारा अनिवार्य आवश्यक अनुमोदन लिए गए हैं।

- (iv) मेरे / हमारे विचार से भवन में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम भवन की अपेक्षाएं पूरी होती हैं और यह अधिभोग के लिए उपयुक्त है, जिसके लिए इसे निर्मित किया गया है, नियम 2 (i) देखें।
- (v) मैं और प्रमाणित करता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 अपेक्षाओं में शामिल किए गए घटकों के विभिन्न तत्वों के संबंध में अनुपालन प्रारूपों के सत्यापन में सभी उपयुक्त व्यावसायिक कौशल, देखभाल और श्रम पूर्वक कार्य किया गया है और इसकी सामग्री तथ्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व है और यह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 की आवश्यकताएं पूरी करते हैं।
- (vi) सम्यक पूरी की गई और अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित जांच सूची संलग्न है।

नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

मुहर / नाम / रजिस्ट्रीकरण संख्या / प्रमाणन संख्या

प्रमाण पत्र की एक प्रति इस पत्र के साथ भेजी जाती है :

- (i) आयुक्त, अधिकारिता वाला प्राधिकरण / नगर / शहर / राज्य
- (ii) मुख्य कार्यपालक (नाम से), राज्य नामित अभिकरण / पता / राज्य

प्रारूप 11

[नियम 5(9) देखें]

[ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के संबंध में संलग्न निर्माण दस्तावेजों और अनुपालन प्रारूपों सहित निर्माण कार्यों के पूरे होने की पुनर्विलोकन पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र – स्वामी को चूक और गैर अनुपालन का संप्रेषण]

सेवा में,

श्री.....
पता

विषय : प्लॉट संख्याब्लॉक संख्यास्कीमसड़क.....नगर / शहर का नाम के परिसर में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण हेतु आवेदन – डिजाइन / पूर्णता चरण निरीक्षण पर ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 के साथ चूक / गैर अनुपालन के विवरण।

महोदय,

मैं / हम(नाम), आदेश संख्या द्वारा एक प्राधिकृत नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के तौर पर एतद् द्वारा कथन करते हैं कि मैंने / हमने आपके द्वारा दिए गए वचनबंध की पुनर्विलोकन की है और निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन प्रारूपों, जांच सूचियों का निरीक्षण किया है, जो प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के निर्माण के पूरे होने पर जमा किए गए और सूचित किया जाता है कि निरीक्षण पर निम्नलिखित चूक / गैर अनुपालन देखे गए हैं -

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

आपसे तदनुसार अनुरोध है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख के तीन माह के अंदर सुधारात्मक कार्रवाई करें। पुनः पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आपके आवेदन पर अगली कार्रवाई उपरोक्त कथित चूक / गैर अनुपालन के संतोषजनक अनुपालन के बाद की जाएगी।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

रजिस्ट्रीकरण संख्या / मोबाइल नंबर

प्ररूप 12

[नियम 5(12) देखें]

अधिभोग प्रमाण पत्र

(अधिकारिता वाला प्राधिकरण द्वारा उनके अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने हेतु)

सेवा में,

स्वामी का नाम...

पता

विषय : अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना

महोदय,

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के पूरे होने पर तारीखकी आपकी सूचना के संदर्भ में जो प्लॉट संख्याब्लॉक संख्या पर में स्थित है, मैं / हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कथित भवन भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यास्कीमपर संलग्न विवरण के अनुसार है, जिसकी योजनाओं को तारीखकी संख्या द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसका निरीक्षण ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 की अपेक्षाओं के संदर्भ में किया गया है।

2. इस भवन को निम्नानुसार अधिभोग के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है :

जलवायु क्षेत्र 24 घण्टे भवन का उपयोग / नियमित भवन

अस्पताल / होटल / कॉल सेंटर / अन्य भवन प्रकार

अनुलग्नक

भवन का विवरण

भू तल	उपयोग	सहबद्ध भार
1. पहला तल
2. दूसरा तल
3. तीसरा तल
4. चौथा तल
5. आदि-आदि		

2. भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात स्वीकृत योजना के अनुसार है। इसका निर्णय राज्य नामित अभिकरण की परामर्श से अधिकारिता वाले प्राधिकरण द्वारा किया गया है कि भवन को उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार अधिभोग के लिए इस शर्त के अधीन उपयुक्त घोषित किया गया है कि स्वामी भवन का ऊर्जा लेखा परीक्षण कराएंगे तथा स्वीकृत योजना में अनुमोदित भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक का अनुपालन अर्जित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण उपाय अभिज्ञात करेंगे।

3. भवन के ऊर्जा निष्पादन की निगरानी और सत्यापन अगले दो वर्षों के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता समिति द्वारा किए जाएंगे।

संलग्नक : पूर्णता योजना की प्रमाणित प्रति।

भवदीय,

(निर्माण अधिकारी के हस्ताक्षर)

अधिकारिता वाला प्राधिकरण

प्रतिलिपि :

मुख्य कार्यपालक, राज्य अभिहित अभिकरण

प्ररूप 13

[नियम 5(12)(ii) देखें]

[नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा भवन के पूरी तरह प्रचालन रत होने के बाद राज्य अभिहित अभिकरण के पास ऊर्जा निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट जमा करना]

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक,
राज्य नामित अभिकरण
राज्य सरकार

विषय : भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्या योजना सड़क शहर / नगर का नाम में निर्मित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन के लिए ऊर्जा निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट - नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा संप्रेषण

महोदय,

मैं / हम(नाम), आदेश संख्या द्वारा एक प्राधिकृत / नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के तौर पर कथन करते हैं कि मैंने / हमने स्वामी द्वारा दिए गए वचनबद्ध, भूखण्ड संख्याब्लॉक संख्यास्कीम नगर / शहर.....राज्य के परिसर में प्रस्तावित भवन के प्रकार के लिए वर्ष हेतु ऊर्जा खपत की पुनर्विलोकन की है और प्रमाणित करते हैं कि ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात है, जो एक से कम या इसके बराबर है। ईपीआई रिपोर्ट संलग्न है।

मैं और प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कथित भवन में ऊर्जा की खपत के सत्यापन में सभी उपयुक्त व्यावसायिक कौशल, देखभाल और श्रम पूर्वक कार्य किया गया है।

बिजली के बिल के प्रतियां आपके संदर्भ हेतु संलग्न की गई हैं।

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम

प्राधिकृत / नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)

रजिस्ट्रीकरण संख्या / मोबाइल नं.

मुहर

संलग्नक : ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात रिपोर्ट जो संहिता के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट है।

प्रतिलिपि : निदेशक, भवन कार्यक्रम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, चौथा तल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110 066

[फा.सं. 21/05/2016-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2018

G.S.R.168(E).- In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (2) of section 56 read with clause (d) of sub-section (2) of section 13 and clause (p) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau, hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Energy Conservation Building Code Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
(b) "best practices" means those measures that—

- allow for optimisation of efficiencies in the identified components and systems to enhance the energy efficiency of the building; or
- (i) reduce the cost of construction having regard to the safety, stability of the building structure, health and environmental provisions of Central laws or State laws; and
- (ii) includes energy conservation measures approved by the State Energy Conservation Building Code Implementation Committee or Energy Conservation Building Code compliant Technical Grievances Redressal Committee or National Energy Conservation Building Code Implementation Committee;
- (c) “building complex” means a building or group of buildings constructed in a contiguous area for business, commercial, institutional purposes or assembly of buildings under the single ownership of individuals or group of individuals or under the name of a co-operative group society or on lease and sold as shops or office space or space for other commercial purposes;
- (d) “built-up area” means the total covered areas on all floors of a building from the basement to all storeys covered by walls and parapet measured at the floor levels excluding parking;
- (e) “bye-laws” means the building bye-laws framed by a State Government or any authority under its control to regulate the building activities in its areas falling in the jurisdiction of-
- (i) all Municipal authorities or Committees or Councils;
- (ii) all Metropolitan areas or Nagar Panchayats;
- (iii) all areas covered under the Development or Planning authorities;
- under various development plans notified by a State Government and enforced by such authority in its jurisdiction in which the Energy Conservation Building Code compliant building shall be located and includes any regulation or rule framed by the State Government or any other authority having jurisdiction established by the State Government;
- (f) “Certified Energy Auditor (Building)” means a person who fulfills the eligibility criteria specified in the Energy Conservation (Minimum qualification for Energy Auditors and Energy Managers) Rules, 2006 and has qualified National Examination for Energy Conservation Building Codes Compliance;
- (g) “Code” means the Energy Conservation Building Code framed by the Bureau under the Act;
- (h) “compliance documents” mean the forms specified in Appendix D of the Code and includes certificates from Empanelled Energy Auditors (Building) to conform compliance with these rules,
- (i) “connected load” means the total of the rated wattage of all equipment, appliances and devices to be installed or installed in the building or part of the building or building complexes in terms of kiloWatt (kW) that will be allocated to all applicants for electric power consumption in respect of the proposed building or building complex, as the case may be, on their completion;
- (j) “construction documents” mean drawings or documents containing information pertaining to building construction processes and approvals, building materials and equipment specification, architectural details required by the authority having jurisdiction;
- (k) “contract demand” means the maximum demand in kiloWatt (kW) or kilo-Volt Ampere (kVA) (within a consumer’s sanctioned load) agreed to be supplied by the electricity provider or utility in the agreement executed between the user and the utility or electricity provider;
- (l) “Empanelled Energy Auditors (Building)” means a firm consisting of the Certified Energy Auditor certified under Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedures for Energy Auditors and Energy Managers) Regulations, 2010 and Certified Energy Auditor (Building), and empanelled with the Bureau;
- (m) “energy conservation measures” mean the measures incorporated in the building design for saving energy, or enhancing comfort in peak electrical or thermal demand, or reducing cooling or heating load covering any element of a component with any other element of the same or other component of the Code and includes any such measure incorporated in the said building design of the proposed or existing building;

- (n) “energy performance index” means annual energy consumption of a building in kiloWatt-hours per square meter of the area of the building which shall be calculated as per the following formula:

$$\text{Energy performance Index} = \frac{\text{annual energy consumption in kWh}}{\text{total built up area (excluding storage area and the parking in the basement) in m}^2}$$

- (o) “energy performance index ratio” means the ratio of the energy performance index of the proposed building to the energy performance index of the standard baseline building;
- (p) “establishment” means a business or other organization, or the place where an organization operates and includes a Government establishment and private establishment;
- (q) “form” means the forms appended to these rules;
- (r) “owner” means a person, group of persons, a company, a trust, an institute, registered body, State Government or Central Government and its attached or sub-ordinate departments, undertakings and such other agencies or organizations in whose name the property stands registered in the revenue records for the construction of a building or building complex;
- (s) “proposed design” means the computerised design of a building consistent with the actual design of a building which complies with all the requirements of the Code either through prescriptive or whole building performance method;
- (t) “standard baseline design” means the standard design that complies with all the mandatory and prescriptive requirements of the Code and has the same built-up area of the proposed building;
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, or in the Code, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said Code.

3. Application. - These rules shall apply to every building, which is used or intended to be used for commercial purposes, having a connected load of 100 kiloWatt (kW) or above or a contract demand of 120 kilo-Volt Ampere (kVA) or above and such building shall cover the following components, namely:-

- (a) building envelope;
- (b) comfort systems and controls (heating, ventilation and air conditioning service hot water system);
- (c) lighting and controls;
- (d) electrical and renewable energy systems;
- (e) any other system, as may be specified from time to time by the Bureau:

Provided that these rules shall not apply to equipment, appliances, devices and parts of building that use energy primarily for manufacturing processes:

Provided further that wherever these rules are in conflict with safety, security, health or environmental codes, or Bureau of Energy Efficiency’s Standard and Labelling for equipment or appliances and Star Rating Program for buildings and if they are more stringent than the requirement of these rules then they shall prevail over these rules:

Provided also that if any existing building after additions or alterations changes its connected load to 100 kilo-Watt (kW) or above or a contract demand of 120 kilo-Volt Ampere (kVA) or above shall comply with the provisions referred to in clauses (a) to (e) of this rule.

4. Compliance mechanism. – (1) The compliance of energy performance of a building shall be ensured by the owner by following either of the following methods, namely: -

- (a) Prescriptive Method. – The building shall comply with the mandatory requirements and prescriptive requirements as specified in the Code for envelope components, comfort systems and controls, lighting and controls, electrical and renewable energy systems;

(b) Whole Building Performance Method. – The building shall comply with all mandatory measures and the requirements specified in the whole building performance method of the Code and the energy performance index of the proposed design under this method shall be the same or less than the energy performance index of the standard baseline design of building as follows:

$$\text{energy performance index ratio} = \frac{\text{energy performance index of proposed design}}{\text{energy performance index of standard baseline design}} \leq 1$$

(2) The summary covering building envelope, comfort systems and controls, lighting and controls, and electrical and renewable energy systems and their checklists under Prescriptive Method and Whole Building Performance Method shall be as specified in the Appendix D of the Code.

5. Procedure for erection of Code compliant building. - (1) Every owner who intends to erect or re-erect a building or make alterations or additions in any building under these rules shall submit to the concerned authority having jurisdiction, an application in Form I accompanied by-

- (a) construction documents duly signed by the owner together with an undertaking in Form II;
 - (b) construction documents shall ensure –
 - (i) compliance with the applicable building bye-laws in force;
 - (ii) building design incorporates energy conservation measures and best national and international practices having regard to the climatic conditions of the site and specific needs of the building so as to optimise the energy performance index ratio of the building;
 - (iii) that all the data, building features, identified energy conservation measures under various building components and systems are shown in detail and in the manner specified in the applicable bye-laws;
 - (iv) the drawing of plan, colour of plan, dimensions of plan, scale of plan as per requirements of the applicable bye-laws in force;
 - (c) compliance documents covering the construction of components and systems of the Code, duly certified by Empanelled Energy Auditors (Building) including the following, namely:-
 - (i) energy performance index ratio report in respect of the proposed building at the design stage;
 - (ii) certificate in Form III by Empanelled Energy Auditors (Building) certifying the compliance documents as specified in Appendix D of the Code;
 - (iii) have been scrutinized or verified in respect of the identified energy conservation measures; and
 - (iv) an application with heading super scribed “Application for permission to erect/re-erect an Energy Conservation Building Code Compliant Building”, duly signed by the owner seeking building permit from the concerned authority having jurisdiction before starting construction work in respect of the proposed building.
- (2) The authority having jurisdiction may require submission of documents in electronic form or hard copy of the documents, referred to in sub-rule (1).
- (3) The Empanelled Energy Auditors (Building), at the design stage, shall follow the following procedure of inspection, namely: –
- (a) scrutinize the construction documents with respect to–
 - (i) floor area;
 - (ii) window area;
 - (iii) wall area;
 - (iv) roof area of the building;
 - (v) built-up area of the proposed design of the building;
 - (b) scrutinize the Code compliance documents and the check list as specified in the Appendix D of the Code and identify -
 - (i) the energy conservation measures that are applicable to the proposed design of building;

- (ii) insulation quantities in walls and roof, and the construction assemblies, solar heat gain coefficient, visible light transmittance and thermal transmittance (U-factor) for window assemblies;
 - (iii) heating, ventilation and air-conditioning component tables for air-handling equipment, refrigeration equipment, condensing equipment and air-flow summaries;
 - (iv) heating, ventilation and air-conditioning equipment efficiencies and control equipment;
 - (v) tables showing lighting equipment schedules;
 - (vi) lighting power density calculations in the design documents;
 - (vii) lighting controls;
 - (viii) motor efficiencies and controls;
 - (ix) findings of the document review to match with the energy model inputs for the proposed building by using the simulation tool approved by the Bureau;
- (c) scrutinize energy performance index ratio projected at the design stage;
- (d) verify and certify the items from (i) to (ix) of (b) and (c);
- (e) fill the check list as specified in the Appendix D of the Code and issue correction list in case the design documents of the proposed design of building provide inadequate information or do not meet the requirements of these rules and shall-
- (i) communicate his findings in Form IV to the owner of the building under intimation to the concerned authority having jurisdiction;
 - (ii) give specified time to the owner to implement its findings;
 - (iii) satisfy himself that the communication received from the owner within the specified time, meet the findings and fulfill the shortcomings;
- (f) record his approval and complete the checklist conforming compliance with the Code and these rules, and issue the certificate of approval in Form V to the owner under intimation to the concerned authority having jurisdiction and State designated agency.
- (4) The authority having jurisdiction on receipt of application under sub-rule(1) for issue of permit for construction of proposed building shall-
- (i) approve the design and sanction building plan only after it has received a certificate in Form II or Form IV from the Empanelled Energy Auditors (Building);
 - (ii) grant permit to erect or re-erect the building or add to or make alterations in the building to carry out the construction works subject to the following conditions in its sanction letter, namely: -
 - (A) the construction work shall be in accordance with the sanctioned plan and requirement under the Code and these rules;
 - (B) the compliance with these rules shall be achieved during construction-in-progress;
 - (C) the building shall not be occupied before issuance of occupancy certificate to the owner;
 - (D) the authority having jurisdiction may, at any stage, revoke the permit on receipt of non-compliance report from the Empanelled Energy Auditors (Building) or on the notice of any misrepresentation of material facts in the application in respect of the provisions of these rules or the Code after giving a reasonable opportunity of being heard to the owner.
- (5) After receiving the permit, the owner shall-
- (a) give notice of his intention to start the construction work of the building in Form VI;
 - (b) undertake construction of energy conservation measures incorporated in the construction documents in terms of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1);
 - (c) have flexibility in constructing the building components and systems covered in the construction documents referred to in clause (a) of sub-rule (1) to most effective use of energy by deploying best practices in such components and systems to optimize the energy performance index ratio;
 - (d) take the approval of the Empanelled Energy Auditors (Building) before undertaking such construction referred to in clause (c) if the components and systems proposed to be constructed are other than those incorporated in the construction and compliance document.

(6) The Empanelled Energy Auditors (Building), at construction stage, shall review, verify the specifications of the parameters specified in sub-rule (3) and, -

- (a) fill out the checklist specified in the Appendix D of the Code, provide comments if the proposed design of building does not meet the construction requirements and specify the shortcomings in compliance to the Code, these rules and sanctioned plan, and shall-
 - (i) communicate its shortcomings and finding to the owner;
 - (ii) give specified time to the owner to implement its findings;
 - (iii) satisfy himself that the communication received thereafter from the owner meets the specified findings and fulfill shortcomings;
- (b) record his approval and complete the checklist indicating compliance with the Code and these rules, and issue a certificate of compliance in Form VII to the owner under intimation to the authority having jurisdiction;
- (c) where it is determined at any stage that construction is not proceeding in accordance with the sanctioned plan or is in violation of any of the provisions of the Code and these rules, Empanelled Energy Auditors (Building) shall notify the owner, and request for additional information with respect to his findings or on the short comings identified by him as per Form VIII;
- (d) in case the Empanelled Energy Auditors (Building) is satisfied with the additional information provided by the owner, he shall record the same in the certificate of compliance in Form VII and communicate the same to the owner under intimation to the authority having jurisdiction;
- (e) in case the Empanelled Energy Auditors (Building) is not satisfied with the additional information submitted by the owner he shall report the same to the authority having jurisdiction to ensure that all further construction is stayed until correction has been effectuated and a certificate of compliance has been issued by Empanelled Energy Auditors (Building).

(7) Every owner shall submit a notice of completion of the building in Form IX to the authority having jurisdiction on the completion of work including the works related to energy conservation measures specified in the sanctioned permit along with the certificate in Form X issued by the Empanelled Energy Auditors (Building) certifying the completion of the building accompanied by -

- (a) the duly completed compliance forms together with check list of various components covered under rule (3) at the completion stage which shall include the followings-
 - (i) review of heating, ventilation and air-conditioning component tables for air-handling equipment, refrigeration equipment, condensing equipment, air-flow summaries, tables showing lighting equipment specifications, and tables showing motor specifications;
 - (ii) inspection of lighting equipment like lamps, ballasts, to confirm fixture wattage and inspection shall include at least random check across according to the type of usage in the building to determine lighting power density;
 - (iii) review the required lighting controls such as manual switching off perimeter, day lighting circuits, automated occupancy based control, photo sensor controls, and automated timer based controls;
 - (iv) review of coefficient of performance values of installed heating, ventilation and air-conditioning equipment and control equipment;
 - (v) review of efficiencies of installed motor and controls;
 - (vi) review of power factor and power distribution losses;
 - (vii) review the required check metering and monitoring system.
- (b) a list of the energy related building features in the proposed design, if any, which are different from the sanctioned or standard baseline design;
- (c) all documents and invoices in support of the construction undertaken with respect to all energy conservation measures including insulation, fenestration, heating, ventilation and air-conditioning, lighting and electrical systems, water heating systems of the building.

(8) If the energy performance index ratio at the completion stage is less than or equal to one as compared to the sanctioned plan of the building, it shall be deemed to have complied with the Code and these rules.

(9) If there is deviation in the energy performance index ratio of the sanctioned plan that is it is more than one as compared to the sanctioned plan of the building, Empanelled Energy Auditors (Building) shall record its findings in Form XI and communicate the same to the owner and seek compliance of the same through incorporation of additional energy conservation measure. The Empanelled Energy Auditor (Building) shall render technical assistance to the owner to ensure that the proposed design of building becomes compliant with these rules.

(10) The owner shall neither occupy nor allow any other person to occupy the building or part of the building covered under these rules for any purpose until such building or such part thereof has been granted occupancy certificate under the bye-laws of the authority having jurisdiction.

(11) The owner shall give notice of completion of the building and seek permission for occupancy.

(12) The authority having jurisdiction on receipt of such notice by the owner accompanied by a certificate by the Empanelled Energy Auditors (Building), issue the occupancy certificate in Form XII incorporating *inter alia* the following conditions, namely: -

- (i) that the energy performance of the building shall be monitored and verified by the State Energy Conservation Building Code Implementation Committee of the concerned State;
- (ii) that the owner through the Empanelled Energy Auditors (Building) shall submit to the State designated agency, an energy performance index report as per Form XIII under intimation to Bureau for two consecutive years after the building has been fully operational;
- (iii) in case the energy performance index ratio of the building is more than one, the authority having jurisdiction may issue a provisional occupancy certificate subject to the condition that the owner shall undertake energy audit of the building to identify additional energy conservation measures to achieve the energy performance index ratio of the building approved in the sanctioned plan or permit within a period of three years;
- (iv) if the owner fails to achieve the energy performance index ratio as specified in clause (iii) within a period of three years from the date of occupancy of the building the authority having jurisdiction shall place the matter before the State Energy Conservation Building Code Technical Grievances Redressal Committee, which shall hear the owner and the Empanelled Energy Auditors (Building) and make recommendations in the matter accordingly and the authority having jurisdiction shall comply with such recommendations.

(13) The process shall be continued repeatedly till energy performance index ratio of the building comes to less than one or equal to one and Empanelled Energy Auditors (Building) shall fill and submit the compliance documents, as specified in Appendix D of the Code, of various energy conservation measures at each stage namely, design, construction and completion, to achieve conformity with the Code and these rules.

(14) The simulation tool referred in sub-rule (3) shall be based on the standard method of test for the evaluation of building energy analysis computer program.

(15) The owner may approach the Energy Conservation Building Code Compliant Technical Grievances Redressal Committee for redressal of any grievance under the provisions of these rules.

6. Committees. – (1) Every State designated agency, for its State, shall constitute –

- (a) State Energy Conservation Building Code Implementation Committee headed by Chief Secretary of the State or, his nominee and comprising of all stakeholders including a nominee from Bureau, to–
 - (i) promote energy efficiency standards through optimization of parameters in the various components and systems of the building in line with the provisions of these rules to enhance the building performance and provide every support to it to make it an effective instrument of promoting energy conservation and energy efficiency in the commercial buildings or establishment;
 - (ii) forward its recommendations to the Bureau to assist the National Energy Conservation Building Code Implementation Committee to develop and revise energy consumption standards for buildings, in

terms of energy performance index, zone-wise - hot and dry, warm and humid, composite, temperate and cold climate zones, classification-wise;

- (iii) create awareness about Energy Conservation Building Code and procedure for erection of Code compliant building;
 - (iv) promote construction of energy efficient buildings ensuring quality and consistency in their constructions having regard to the climatic conditions and needs of the building projects;
 - (v) promote capacity building of building professionals, developers and contractors to promote energy efficient designs of buildings in close co-ordination with authorities having jurisdiction;
 - (vi) undertake performance review of annual work of all Empanelled Energy Auditors (Building) to check their credentials;
- (b) prepare a summary of violations which shall be provided by State designated agency to the Bureau and review such violations for the purpose of evaluating his professional skills;
- (c) prepare a yearly report and furnish the same to the Bureau indicating *inter alia* the progress made in compliance of these rules in the State and the steps taken by the State designated agency to improve the rate of compliance of Code in the State;
- (d) create data base through compilation of data of energy performance index and its ratio achieved by each building constructed after coming into force of these rules;
- (e) Energy Conservation Building Code Compliant Technical Grievances Redressal Committee headed by an officer of the Urban Development Department of the State, with other members, not exceeding four, nominated by the State Energy Conservation Building Code Implementation Committee who are qualified by experience and training to pass judgment upon matters pertaining to construction of Code compliant building in the State, to—
- (i) hear grievance filed by the owner of a Code complaint building within the specified time period given by the authority having jurisdiction relating to the building permit, completion certificate, occupancy certificate of building including determination of the energy performance index ratio at the completion stage and interpretation of these rules or any other grievance arising out of the implementation of the Code and these rules;
 - (ii) make recommendations to the authority having jurisdiction to reconsider such issue, or for implementation by the authority having jurisdiction, as the case may be.

(2) The Bureau shall establish a National Energy Conservation Building Code Implementation Committee under the Chairmanship of Director-General of the Bureau. The concerned programme manager in the Bureau shall be the Member-Secretary of the said Committee which shall consist of the following others members, namely: -

- (a) one representative each nominated by all State designated agencies preferably Empanelled Energy Auditors (Building) dealing with the Code compliant buildings in each State;
- (b) a representative of Bureau of Indian Standards;
- (c) a representative of Ministry of Housing and Urban Affairs;
- (d) a representative of Central Public Works Department;
- (e) a representative of Construction Industry;
- (f) a representative of Council of Architecture;
- (g) any other member, who may be nominated by the Chairperson.

(3) The National Energy Conservation Building Code Implementation Committee shall evaluate the recommendations of the State Energy Conservation Building Code Implementation Committee sent under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (1) and finalize its recommendations regarding formulation of national energy consumption norms and standards climate zone wise, classification-wise of Code compliant buildings.

(4) Where the subject has been so evaluated and the need of having a uniform standard is established, the Bureau, under sub-section (3) of section 8 of the Act, may constitute a Technical Committee comprising of persons having adequate knowledge in the area of building energy efficiency to have interaction with various stake holders for the purpose and prepare a draft standards, widely circulate the same including State designated agencies for a period of not less than forty-five days for critical review and suggestions and finalize the draft standards.

(5) The recommendations of the National Energy Conservation Building Code Implementation Committee shall be placed before the Governing Council through Management Advisory Committee for direction and approval.

(6) The Bureau after having received the approval of the Governing Council shall send its recommendations to the Central Government for consideration and approval.

(7) The recommendations approved by the Central Government may be used for updating the Code.

7. Responsibilities and duties of the owner. - (1) The owner of the Code compliant building shall carry out the work of the said building in accordance with the requirements of the Code and these rules.

(2) Every owner shall-

(a) engage Empanelled Energy Auditors (Building) in development of building design, installation of energy conservation measures and equipment to meet with the requirements of these rules and ensure following, namely:-

- (i) finalize the compliance approach relevant for his building project based on the complexity of the building, budget and time constraints;
 - (ii) finalize the energy conservation measures as per the Code as amended from time to time having regard to the location of the proposed building;
 - (iii) to integrate the energy conservation measures in the building design in accordance with the provisions of these rules;
 - (iv) that drawings, specifications and compliance forms are prepared and energy conservation measures are reflected in the building design documents and submitted to the authority having jurisdiction in compliance with the requirements of the rules accompanied by a certificate specifying the energy performance index ratio of the building by the Empanelled Energy Auditors (Building) that the documents are as per the requirement of these rules;
 - (v) notice is given within the validity of sanction to the authority having jurisdiction of his intention to start the construction work at the building site;
 - (vi) commence the work within the period specified by the authority having jurisdiction from the date of such notice or seek extension of time for starting the construction work, wherever necessary;
 - (vii) ensure that the designed energy conservation measures are deployed in the construction of the building and installation of its components and systems.
- (b) permit the Empanelled Energy Auditors (Building) to enter the building or premises at any reasonable time for the purpose of inspection to ensure compliance of building works with rules and regulations under the Act;
- (c) give written notice to the authority having jurisdiction intimating the completion of the construction work along with a certificate from the Empanelled Energy Auditors (Building) to the effect that-
- (i) the construction of the building has been done in accordance with the sanction of the building permit;
 - (ii) all the energy conservation measures have been installed and inspected, and they meet the requirements of the Code and these rules;
 - (iii) the building design meet with the provisions of the Code and these rules;
- (d) give written notice to the authority having jurisdiction as well as to the State designated agency in case of termination of the services of Empanelled Energy Auditors (Building) and appointment of other Empanelled Energy Auditors (Building) in its place;
- (e) obtain an occupancy permit from the authority having jurisdiction prior to any occupancy of the building or part thereof after completion of the building;
- (f) report the practical difficulties to the Empanelled Energy Auditors (Building), if any, in carrying out the provisions of these rules, who shall take necessary action in consultation with State designated agency and State Energy Conservation Building Code Implementation Committee;

- (g) on the receipt of the notice, if any, from the authority having jurisdiction, he shall discontinue such usage within reasonable time as specified in such notice and in no case he shall disregard the provisions of these rules;
- (h) where he proposes to alter the installation of any system or material or equipment on account of improving the energy efficiency of the building contrary to the system, material or equipment as indicated in the sanction plan he shall use or install such system or material or equipment after obtaining the necessary approval of the Empanelled Energy Auditors (Building):

Provided that it does not violate the spirit and intent of the provisions of these rules:

Provided further that such change shall not compromise with the building requirements namely, structural stability, safety, health or environmental provisions of Central laws and State laws applicable to the buildings covered under these rules.

(3) The owner may approach the Energy Conservation Building Code Compliant Technical Grievances Redressal Committee for redressal of any grievance under the provisions of these rules.

8. Role, responsibilities and duties of the Empanelled Energy Auditors (Building).—The Empanelled Energy Auditors (Building), whose services are engaged by the owner, shall—

- (a) verify and certify –
 - (i) the design of the building keeping in view the design criteria, energy goals of the project, energy systems performance verification plan, and the modeling approach;
 - (ii) the energy conservation measures based on the design approach for the project under consideration;
 - (iii) construction documents and compliance documents, compliance forms and checklists specified to ensure that the building complies with the Code and these rules;
 - (iv) energy performance index ratio of the proposed building;
- (b) furnish a certificate under its seal and authorized signature to the effect that drawings, specifications, construction documents, compliance documents and forms prepared covering building envelope, comfort system and controls, lighting and electrical power systems, wherever applicable, and all other Code related documentation prepared for submission to the authority having jurisdiction ensuring compliance with these rules;
- (c) inspect the building works from the design stage to its commissioning stage of buildings including their uses under these rules and based on his certification, the authority having jurisdiction shall issue building permit, approve construction of building, issue completion and occupancy certificates;
- (d) the Empanelled Energy Auditors (Building) shall ensure that none of the professionals or employees working under him/her is engaged in any work in connection with the construction or alteration of the concerned building covered under these rules to ensure that there is no conflict of interest with his/her official duties with the interests of the authority having jurisdiction;
- (e) report to State designated agencies on such unusual technical issues that may arise due to issue of building permit or construction of building or during occupancy stage;
- (f) provide inputs to the National and State Energy Conservation Building Code Implementation Committees to facilitate for better implementation of the Code and these rules;
- (g) promote norms and standards specified in the Code.

9. Responsibilities and duties of State designated agency. - The State designated agency established by every State Government under clause (d) of section 15 of the Act, in consultation with Bureau, shall—

- (a) coordinate, regulate and enforce provisions of the Code and these rules for efficient use of energy and its conservation under the Act in the State;
- (b) ensure every commercial building or establishment having a connected load of 100 kW or above, or contract demand of 120 kVA or above, be constructed in compliance with these rules;

- (c) monitor the performance of the Empanelled Energy Auditors (Building) to improve the quality, consistency and rate of compliance of these rules with a view to make the cadre of Empanelled Energy Auditors (Building) as effective instruments for promotion of energy efficiency in the building sector in the State;
- (d) create a data bank in the State to measure the compliance rates of the Code compliant buildings and accurately account for the energy savings resulting from the compliance of these rules;
- (e) also create a data bank on energy use per square meter of area of the building under different zones namely, hot and dry, warm and humid, temperate, composite and cold, separately for each category in the State;
- (f) take necessary steps to make energy performance index as a measure to comply with these rules in the various categories of buildings and send its recommendations to the Bureau for the formulation of energy consumption norms and standards in respect of various categories of buildings constructed zone-wise in its State;
- (g) arrange conduct site visits, if considered necessary, to determine the accuracy of reporting by Empanelled Energy Auditors (Building) in the State;
- (h) prepare a report on performance of Empanelled Energy Auditors (Building) listing out the projects complying with these rules, projects in violation of compliance with these rules and the level of violation, and provide summary of such violations for each year to the Bureau of Energy Efficiency;
- (i) coordinate with the authority having jurisdiction to amend their building bye-laws incorporating the provisions of these rules for the purpose of construction of buildings in compliance with the Code and these rules;
- (j) provide necessary support to the authority having jurisdiction to conform to the provisions of these rules with regard to matters concerning design construction including energy conservation measures and occupancy for improving the energy performance of Code compliant buildings and effectiveness in compliance of these rules.

10. Miscellaneous.— (1) The use of any energy conservation measures or method or design or construction not specifically specified under these rules shall not be prevented by the authority having jurisdiction if such energy conservation measures or method or design or construction is found to be satisfactory by the Energy Conservation Building Code Compliant Technical Grievance Redressal Committee and such energy conservation measures or method or design or construction assist the owner in optimizing the energy performance index ratio in the use of energy on its occupancy.

(2) The Code shall be reviewed periodically, at least once in five years, to determine the need for revision or withdrawal of standards specified in the Code, and such standards which in the opinion of the Bureau need no revision or amendment shall be reaffirmed.

Form I

[See rule 5(1)]

Application for seeking building permit in respect of erection/ re-erection/making alteration in the Energy Conservation Building Code compliant Building

To

The Commissioner or (name of the competent authority)

Authority having jurisdiction,

Name of the city

Name of the State

Date: __/__/____

Subject: Application for erection of Energy Conservation Building Code compliant building in premises of Plot no. _____ Block No. _____ Scheme _____ Street _____ Name of the town/city

Sir,

I/We the undersigned hereby give you notice of my intention to erect /re- erect/alter Energy Conservation Building Code Compliant Building under the Energy Conservation Building Code Rules, 2018 in the premises of plot No. _____ Block No. _____ Scheme _____ and request for issue of building permit for the construction of the Energy Conservation Building Code compliant building. The following documents are enclosed

- (i) Construction Documents and Compliance Forms together with check-lists incorporating the installation of Energy Conservations Measures specified in the aforesaid rules.
- (ii) The Construction Documents and Compliance Forms together with check-lists have been verified by Shri----- Regd. number _____ Empanelled Energy Auditors (Building). A certificate in Form II duly signed and sealed in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Name of the owner)

Address _____

Tel. No./Mobile No. __

Form II

[See rule 5(1)(a)]

[Undertaking by owner for construction of the Energy Conservation Building Code compliant building]

I/We am/are the owner(s) of the aforesaid Plot No. _____ Block No. _____ and the proposed building on completion of construction shall have a connected load/contract demand of 100 kW/120 kVA or above and is proposed to be constructed to use or intended to be used for commercial purposes.

The proposed building accordingly attract the provisions of Energy Conservation Building Code Rules, 2018.

I/we undertake that the aforesaid building shall be constructed in accordance with the bye-laws of the Municipal Authority and the provisions of the Energy Conservation Building Code Rules, 2018. In case any deviation is noticed during the construction of the Building, I/we shall indemnify the loss to the authority having jurisdiction.

I/ we further undertake that the information supplied in the enclosed drawings and the application is accurate to the best of my/our knowledge and if any of the information supplied is found to be incorrect and such information result in loss to the Central or the State Government or any other authority under them. I/ we undertake to indemnify such loss.

Signature

(Name of the owner)

Address _____

Mobile No/ Tel No-----

Form III

[(See rule 5(1)(c)(ii) and 5(4)(a)(i)]

[Certificate from Empanelled Energy Auditors (Building) to be enclosed with the application for Building Permit for Energy Conservation Building Code compliant building]**Certificate**

I/We am/are Empanelled Energy Auditors (Building) having registration No /_____ under the Energy Conservation Act 2001 (52 of 2001) and am authorized to scrutinize and verify the design of Energy Conservation Building Code compliant building. I/We certify that –

- (a) I/We have scrutinized the construction documents, undertaking given by the owner duly signed by the owner/design professional showing all the pertinent data and features of the building, equipment and systems in sufficient details covering building envelop, heating, ventilation and air-conditioning, service hot water, lighting and electrical power in accordance with municipal bye-laws and with the Energy Conservation Building Code rules, 2018 in respect of building proposed to be constructed on plot on -----block no----- scheme in the city of _____ in the State of _____;
- (b) I/We have scrutinized the compliance forms with the check- lists to ensure compliance with the bye-laws and the Energy Conservation Building Code Rules, 2018.
- (c) The compliance documents have been duly inspected by the undersigned.
- (d) The energy performance index ratio of the building design as per compliance documents, at the design stage is equal to or less than one and is therefore in compliance with the Energy Conservation Building Code Rules, 2018.
- (e) It is certified that all required scrutiny and verification of the documents submitted have been carried out diligently, truthfully and all reasonable professional skill, care and diligence have been taken in scrutinizing and verifying the drawings of the buildings and compliance forms together with check–lists covering the various components of the Energy Conservation Building Code rules, 2018.
- (f) The contents of all the documents submitted along with the application are a true representation of the facts and nothing has been concealed.

There is no objection for issue of building permit in respect of the aforesaid proposed building in so far as requirements of Energy Conservation Building Code rules, 2018 are concerned.

Signature

Name of the Empanelled Energy Auditors (Building)

Registration No /SEAL.

Date

Form IV

[(See rule 5(3)(e)(i) & 5(4)(a)(i)]

[Certificate of Inspection by Empanelled Energy Auditors (Building) on review of Building Permit Application in respect of the proposed building -Communication of omissions and non-compliance to owner]

To

Shri _____,

Address

Subject: Application for erection of proposed Building in premises of Plot no. _____ Block _____ No. _____
 _____Scheme _____Street _____Name of the town/city- Details of omission /non-compliance with the
 Energy Conservation Building Code rules, 2018 on design stage inspection

Sir,

I/We,.....(Name), being an authorised Empanelled Energy Auditors (Building)vide order No. _____ hereby state I/we have reviewed and verified the undertaking given by you and have inspected the construction documents, compliance forms, check-lists, submitted along with building permit application

in respect of the various elements specified in sub-rule (3) of rule 5 of the various components of the proposed building in respect of the subject building and inform that the following omission/non-compliance have been discovered on inspection –

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

It is requested that the necessary energy conservation measure in consultation with your design team be carried out in order to bring them in compliance with the Energy Conservation Building Code Rules, 2018. You are accordingly requested to take corrective action within a period of one month from the date of issue of this letter. Further action on your application for issue of building permit shall be taken after satisfactory compliance of the aforesaid omission/non-compliance.

Signature

Empanelled Energy Auditors (Building)

Registration number/Mobile number

Seal

Form V

[See rule 5(3)(f)]

Certificate of Inspection by Empanelled Energy Auditors (Building) on review of building permit application enclosing construction documents and compliance forms in respect of Energy Conservation Building Code compliant building]

I/We,.....(Name), being an authorised Empanelled Energy Auditors (Building) vide order No._____ hereby state that I/we have reviewed and verified the undertaking given by the owner, and have inspected the construction documents, compliance forms, check-lists, submitted along with building permit application in respect of the various elements of the proposed Energy Conservation Building Code compliant building in the premises of plot No._____ Block No._____ Scheme_____ Town/City_____ State of _____ and certify that the

- (i) the omission/non-compliance pointed out by the undersigned in the certificate of Inspection datedhave been complied with satisfactorily;
- (ii) the energy performance index ratio calculation match with the data given in the aforesaid documents and is in compliance with the Energy Conservation Building Code Rules, 2018.

I/We further certify that –

(a) all reasonable professional skill, care, and diligence have been taken in verifying the compliance forms in respect of the various elements of the components covered in Energy Conservation Building Code rules, 2018 and contents thereof are a true representation of the facts and meet the requirements of Energy Conservation Building Code Rules, 2018.

(b) There is no objection for issue of building permit in respect of the aforesaid proposed building in so far as requirements of Energy Conservation Building Code Rules, 2018 are concerned.

The check-list duly completed and signed by the undersigned is enclosed.

Signature

Authorized/Empanelled Energy Auditors (Building)

Registration number/ Mobile number

Seal

Form VI**[See rule 5(5)(a)]****Notice for commencement of construction work of Energy Conservation Building Code compliant building**

To

Date: __/__/__

The Commissioner or (name of the competent authority)

Authority having jurisdiction,

Name of the City

Name of the State

Subject: Erection of Energy Conservation Building Code compliant building on premises of Plot no. _____
 Block No. _____ Scheme _____ Street _____ Name of the town/city-Notice for
 commencement of building construction works

Sir,

I/We hereby give notice for commencement of building works including implementation of Energy Conservation Measures for erection of Energy Conservation Building Code compliant building in the aforesaid site i.e. Plot No.scheme.....street in pursuance of the sanction granted by the Authority having jurisdiction/*vide* file No. /letter No.....

Yours faithfully

Signature of the owner

(Name of the owner)

Address of the owner

Form VII**[See rule 5(6)(b) and (d)]**

[Certificate of Inspection by Empanelled Energy Auditors (Building) on review of construction works enclosing construction documents and compliance forms in respect of Energy Conservation Building Code compliant building-- Issue of certificate of compliance]

To

The Owner,

Address

I/We,.....(Name), being an authorised/**Empanelled Energy Auditors (Building)** *vide* order No. _____ hereby state I/we have reviewed the undertaking given by the owner, **energy conservation measures installed during the construction works** and have reviewed the construction documents, compliance forms, check-lists, submitted along with progress in construction works in respect of the various elements of the components referred to in sub-rule (6) of Rule 5 of the proposed Energy Conservation Building Code compliant building in the

premises of plot No._____BlockNo._____scheme_____Town/City_____State of_____ and certify that the energy performance index ratio calculation match with the data given in the aforesaid documents;

I/We further certify that all reasonable professional skill, care, and diligence have been taken in verifying the construction document and compliance forms in respect of the various elements of the components covered in Energy Conservation Building Coderules, 2018 and contents thereof are a true representation of the facts and meet the requirements of Energy Conservation Building Coderules, 2018.

The check-list duly completed and signed by the undersigned is enclosed.

Signature

Name

Empanelled Energy Auditors (Building)

/Registration No./Mobile number.

Seal

Copy to: Commissioner, Authority having jurisdiction/Name of the City/Town
Chief Executive, State designated agency/Name of State/Address

Form VIII

[See rule 5(6)(c)]

[Certificate of Inspection by Empanelled Energy Auditors (Building) on review of construction works enclosing construction documents and compliance forms in respect of Energy Conservation Building Code compliant building- Issue of certificate of non-compliance]

To

Shri.....

owner

Address

Date: __/__/__

Sub: Erection of Energy Conservation Building Code compliant Building on premises of plot No. ____block No. _____scheme_____street_____ name of the town/city-Communication of findings by the Empanelled Energy Auditors (Building)

Sir/Madam,

I/We,.....(Name),being an authorised/Empanelled Energy Auditors (Building)*vide* order No._____hereby state I/we have reviewed the undertaking given by the owner, and energy conservation measures under construction and have reviewed the construction documents, compliance forms, check-lists, submitted along with progress in construction works in respect of the various elements of the components of the proposed Building in the premises of plot No._____ Block

No. _____ Scheme _____ Town/City _____ State of _____ and have to state that the construction has not proceeded in accordance with the sanctioned plan and has deviated/is deviating from the following provisions of Energy Conservation Building Code Rules, 2018 namely:-

- (i)
- (ii)
- (iii)

2. None of the above deviations are covered in the best practices approved by the State Energy Conservation Building Code Implementation Committee.

or

The following deviations are covered in the best practices by the State Energy Conservation Building Code Implementation Committee.

3. The building owner is requested to rectify the above deviations or take the approval of the Energy Conservation Building Code Technical Grievance Redressal Committee.

4. The building owner after obtaining the approval provided in para 3 above or rectifying the deviations notified in para 1 above may inform the undersigned of the action taken in the matter within one month from the date of approval obtained or rectification completed along with the updated check- list to enable me to inspect the works in connection with the issue of certificate of approval provided in clause (d) of sub-rule (6) of rule 5 of the Energy Conservation Building Code Rules, 2018.

Yours faithfully

Signature

Name of

Authorized/

Empanelled Energy Auditors (Building)
number/Mobile number.

Seal

Copy to: Commissioner, Authority having jurisdiction/Name of the City/Town/State

Form IX

[See rule 5(7)]

Notice of completion

To

The Commissioner
Authority having jurisdiction
Name of the Town/State

Subject: Construction of Energy Conservation Building Code compliant building on plot No. ____in block No.____town _____. Notice of completion of construction of Energy Conservation Building Code compliant works

Sir,

I/We hereby give notice that the erection of the building on plot No.....Block No..... including execution and implementation of the energy conservation measures have been completed in accordance with the plans sanctioned *vide* your office communication No..... dated.....The following documents are enclosed:-

- (i) A certificate of inspection on completion of the aforesaid building from S.Shri_____ Empanelled Energy Auditors (Building) vide Municipal Authority Order No_____dated _____

The building is fit for use for which it has been erected/re-erected/constructed.

It is requested that permission to occupy or use the aforesaid building may be granted.

Yours faithfully,

Signature

Name of the owner Plot No. block No. Address

Form X

[See rule 5(7)]

[Certificate of Inspection by Empanelled Energy Auditors (Building) on review of completion of construction works enclosing construction documents and compliance forms in respect of Energy Conservation Building Code compliant building -Issue of certificate of compliance]

To

Name.....

Owner the Building,

Address

Subject: Completion of Construction Works in respect of Energy Conservation Building Code compliant building-

Certificate

I/We,.....(Name(s)),being the authorised Empanelled Energy Auditors (Building)*vide* order No._____ hereby state that I have verified the undertaking given by the owner, and have inspected the construction documents, compliance forms, check-lists, submitted on completion of building of the proposed Energy Conservation Building Code compliant building in the premises of plot No._____ block No._____ scheme _____ town/City _____ state of _____ and certify that the

- (i) The works covered under the Energy Conservation Building Code Rules, 2018 have been completed to the best of my satisfaction. The details of the various components/system completed as per Energy Conservation Building Code rules, 2018 are given below:

- | Name of the component | dated |
|-----------------------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
- (ii) The energy performance index ratio of the said building match/with the data given in the aforesaid compliance documents specified in para 1 above.
- (iii) A list of the energy conservation measures deployed in the construction of aforesaid building enclosed. Necessary approvals required have been taken by the owner.
- (iv) The building in my/our view meets the requirements of Energy Conservation Building Code Rules compliant building and is fit for occupancy for which it has been erected, Refer Rule 2(i).
- (v) I further certify that all reasonable professional skill, care, and diligence have been taken in verifying the construction document and compliance forms in respect of the various elements of the components covered in the Energy Conservation Building Code rules, 2018 and contents thereof are a true representation of the facts and meet the requirements of the Energy Conservation Building Code rules, 2018.
- (vi) The check-list duly completed, signed sealed by the undersigned is enclosed.

Empanelled Energy Auditors (Building)

Seal/Name/Regd.Number/

Certification number

A copy of the certificate is sent herewith to:

- (i) Commissioner, authority having jurisdiction, Town /city/ State
- (ii) Chief Executive, (By Name), State designated agency/Address/State of

Form XI

[See rule 5(9)]

[Certificate of Inspection by Empanelled Energy Auditors (Building) on review of completion of construction works in respect of Energy Conservation Building Code compliant building-Communication of omissions and non-compliance to owner]

To

Shri _____,

Address

Subject: Application for erection of Energy Conservation Building Code compliant Building in premises of plot no. _____ block No. _____ scheme _____ street _____ name of the town/city- details of omission /non-compliance with the Energy Conservation Building Code Rules, 2018 on design/completion stage inspection.

Sir,

I/We,.....(Name),being an authorised Empanelled Energy Auditors (Building)*vide* order No._____ hereby state I/we have reviewed and verified the undertaking given by you and have inspected the construction documents, compliance forms, check-lists, submitted on completion of the proposed Energy Conservation Building Code compliant building in respect of the subject building and inform that the following omission/non-compliance have been found on inspection –

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

You are accordingly requested to take corrective action within a period of three months from the date of issue of this letter. Further action on your application for issue of Completion Certificate shall be taken after satisfactory compliance of the aforesaid omission/non-compliance.

Signature

Empanelled Energy Auditors (Building)

Registration number/Mobile number.

Form XII

[See rule 5(12)]

Occupancy Certificate

(to be issued by Authority having jurisdiction in their occupancy certificate)

To

Name of the owner....

Address.....

Subject: Issue of Occupancy Certificate

Sir,

With reference to your notice of completion of an Energy Conservation Building Code compliant building construction dated.....on plot no.....block no... situated atI/we hereby certify that the said building as per description annexed on plot No. _____Block No.____Scheme_____whose plans were sanctioned vide No.....dated.....has been inspected with reference to requirements of Energy Conservation Building Code Rules, 2018.

2. The building is declared fit for occupancy as follows:

Climate Zone	24-Hour use Building / Regular Building
	Hospitals/Hotels/Call Centre/Other Building Types

Annexure	Description of the building	
	Usage	connected load
Ground Floor		
1. 1st floor
2. 2nd floor
3. 3r floor
4. 4th Floor
5. etc.		

2. The energy performance index ratio of the building on the completion stage is as per the sanction plan. It has been decided by the authority having jurisdiction in consultation with the State designated agency that the building is declared fit for occupancy as specified above, subject to the condition that the owner shall undertake energy audit of the building and identify additional energy conservation measures to achieve the compliance with the energy performance index of the building approved in the sanctioned plan.

3. The energy performance of the Building shall be monitored and verified by the State Energy Conservation Building Code committee for the next two years.

Enclosures: copy of certified completion plan.

Yours faithfully,

(Signature of building official)

Authority having jurisdiction

Copy to

The Chief Executive, State designated agency.....

Form XIII

[See rule 5(12)(ii)]

[Energy performance index Report Submission by Empanelled Energy Auditors (Building) to State designated agency after the building has become fully operational]

To

**The Chief Executive,
State designated agency,
Government of (State)**

Sub: Energy performance index Report for Energy Conservation Building Code compliant building constructed on Plot no. _____ Block No. _____ Scheme _____ Street _____ Name of the town/city-Communication by the Empanelled Energy Auditors (Building)

Sir,

I/We,.....(Name),being the authorised/Empanelled Energy Auditors (Building)*vide* order No._____ hereby state that I/we have reviewed the undertaking given by the owner, energy consumption for year of the proposed building of typein the premises of plot No._____ Block No._____ Scheme_____ Town/City_____ State of_____ and certify that the energy performance index ratio is.....which is less than or equal to one. The EPI report is enclosed.

I further certify that all reasonable professional skill, care, and diligence have been taken to verify the energy consumption of the aforesaid building.

Copies of the electricity bills have been enclosed for your reference.

Yours faithfully

Signature

Name of

Authorized/

Empanelled Energy Auditors (Building)

Number /Mobile number

Seal

Enclosure: Energy performance index ratio report as specified in the Appendix D of the Code.

Copy to: Director, Buildings Programme, Bureau of Energy Efficiency, 4th Floor, Sewa Bhavan, R K Puram, New Delhi
- 110 066

[F.No. 21/05/2016-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser